एलाइंस एयर
ALLIANCE AIR
नए भारत की उड़ान

वार्षिक रिपोर्ट

2022 - 2023

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निगमित सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	9
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	21
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	58
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	59
7.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	95
8.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता	96
9.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	97
10.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	98
11.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	100

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (22.09.2023 तक)

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा — अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ
श्री प्रांजोल चन्द्रा
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनीत सूद

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अम्बर कुमार मण्डल

कम्पनी सचिव
श्रीमती शिल्पा भाटिया

सांविधिक लेखा परीक्षक
बाटलीबोय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट
नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, द्वितीय तल, 204 डी एन रोड, फोर्ट, मुम्बई–400001

बैंकर्स
पंजाब नेशनल बैंक,
इंडसइंड बैंक,
ऐक्सिस बैंक,
कोटक बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक (श्री लंका)

पंजीकृत कार्यालय
एलाइंस भवन, अन्तरदेशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037.
दूरभाषः 011–25672287, वेबसाइटः www.allianceair.in
CIN: U51101DL1983GOI016518

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई–400083

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयर होल्डरों,

मुझे आपके समस्त कम्पनी की वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2022–23 की 40वीं (चालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (कम्पनी या ''एएएएल'') देश की अग्रणी क्षेत्रीय एयरलाइनों में से एक है, जो भारत में टायर 2 व टायर 3 शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है और 'एलाइंस एअर' ब्रांड के नाम से प्रचालित होती है।

कंपनी 2003 से एटीआर प्रकार के विमानों का परिचालन कर रही है और उसके पास 21 विमानों का बेड़ा है जिसमें 18 एटीआर 72–600, 2 एटीआर 42–600 और एक डोर्नियर डीओ–228 शामिल हैं। यह एयरलाइन, जो पहले एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती थी, उसके विनिवेश के बाद स्वामित्व में बदलाव आया है। भारत सरकार द्वारा कंपनी का स्वामित्व एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को हस्तांतरित कर दिया गया जिसे एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया गया था।

कंपनी का बेड़ा 58 गंतव्यों के नेटवर्क पर प्रतिदिन 100(+) से अधिक प्रस्थान प्रचालित करने हेतु तैनात है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य श्रीलंका में जाफना भी शामिल है।

अवलोकन– नागर विमानन उद्योग

कार्य समूह की आबादी में लगातार वृद्धि और मध्यम वर्ग की बढ़ती जनसंख्या के साथ, भारत में विमानन उद्योग में अभूतपूर्व मांग देखने की उम्मीद है। डीजीसीए के अनुसार, जनवरी–दिसंबर 2022 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के 838.14 लाख की तुलना में 1232.45 लाख थी, जिसमें 47.05% की वार्षिक वृद्धि और 13.69% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित करने में सहायक रही है। इसके लिए सरकार द्वारा उड़ान–आरसीएस योजना आरम्भ की गई है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक यात्रा प्रदान करके हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना है। सरकार ने 2024 तक 1,000 उड़ान मार्गों को आगे विकसित करने और 100 असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट/वाटर एरोड्रोम (68 एरोड्रोम सहित) को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

हवाई यात्रा में वृद्धि

भारतीय विमानन सुधार की राह पर है और यात्रियों की आवाजाही के मामले में विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आईबीईएफ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 2027 तक हवाई जहाजों की संख्या 1,100 तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, भारत के हवाई अड्डों पर घरेलू यात्री यातायात 270.34 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 62.1% की वार्षिक वृद्धि है और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात 56.9 मिलियन तक पहुंच जाएगा जोकि वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में 157% की वार्षिक वृद्धि है।

भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और 2024 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है।

भारतीय विमानन में आने वाले वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास, अनुकूल जनसांख्यिकी और बुनियादी ढांचे के निवेश के कारण बड़े पैमाने पर विस्तार और परिवर्तन होने की उम्मीद है।

ईंधन की कीमतें

एयरलाइनों की प्रचालन लागत में ईंधन की कीमतें लगभग 40% होती है। जबकि एटीआर प्रचालन के लिए यह इसकी प्रचालन लागत का लगभग 32% होगा। वित्त वर्ष 2021–22 के आरंभ में, कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के कारण, एयरलाइंस को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों में कमी की गई, लेकिन बाद में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।

भारत में एटीएफ मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय आयात कीमतों के आधार पर तय किया जाता है और यह अरब की खाड़ी एटीएफ कीमतों पर पलैट शुल्क के प्रकाशन के बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022–23 की तीसरी तिमाही से एटीएफ (जेट ईंधन) के लिए एक नया मूल्य निर्धारण तंत्र पेश किया है। नया मूल्य तंत्र जो आयात समता मूल्य आधारित प्रणाली की जगह लेता है, उसे एमओपीएजी या पलैट्स अरब खाड़ी के मध्य पर बेंचमार्क किया गया है और यह वैश्विक कच्चे तेल की कीमत और भारत में जेट ईंधन की कीमत के बीच अधिक समानता ला सकता है। नया मूल्य निर्धारण तंत्र "अधिक पारदर्शी" है

नई नागर विमानन नीति–क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ''उड़े देश का आम नागरिक'' (उड़ान) प्रारंभ की गई है जो 2017 से 10 वर्षों तक चलेगी और मौजूदा हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों को पुनःर्जीवित करने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत बोली के प्रथम राउंड में सरकार द्वारा लगभग 132 क्षेत्रीय मार्ग दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के 1 (132 मार्ग), 2 (311 मार्ग), 3 (287 मार्ग), 3.1 (44 मार्ग), 4 (94 मार्ग) और 4.1 (174 मार्ग), 4.2 (186 मार्ग), 4.3 (10 मार्ग) और 5.0 (148 मार्ग) दौर में, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में उड़ान सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को मार्ग दिए गए हैं। इस योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को आधी सीटें रियायती दरों पर देनी होंगी जिसमें सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत एयरलाइंस को सहयोग प्राप्त होता है।

आरसीएस की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए असेवित और अल्पसेवित एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं और इसे बोली प्रक्रिया के क्रमशः 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2 और 4.3 दौर में 17 मार्ग, 28 मार्ग, 40 मार्ग, 12 मार्ग, 14 मार्ग, 08 मार्ग, 02 मार्ग और 06 मार्ग आबंटित किए गए हैं। एलाइंस एअर ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) बोली के आरसीएस–उड़ान के 5.0 दौर में भाग लिया था और इसे 10 मार्गों से सम्मानित किया गया हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला–दिल्ली सेक्टर की पहली 'उड़ान' का शुभारंभ किया और एलाइंस एअर को लॉन्च वाहक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। एलाइंस एअर द्वारा 31 मार्च, 2023 तक 101 मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और बोली लगाने के पहले दौर में दिए गए सभी मार्गों पर संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2018 के तहत, एलाइंस एअर को आरसीएस के तहत **''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर''** का विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा, एलाइंस एअर को विंग्स इंडिया 2022 में आरसीएस उड़ान योजना के तहत ''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ऑपरेटर'' का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

आरसीएस उड़ान ने 22 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे कर लिए है। चूंकि असेवित व अल्पसेवित मार्गों पर प्रचालन हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे टायर 2 एवं 3 के शहरों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन में वृद्धि होगी। अपने युवा एटीआर विमान बेड़े की मदद से एलाइंस एअर क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। अतः कम्पनी की आरसीएस बिडिंग के अगले चरण में भी तत्परता से भाग लेने की योजना है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के 447.39 करोड़ रुपये की हानि के मुकाबले वित्त वर्ष 2022–2023 में 565.77 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की है। हानि में 118.38 करोड रु. की निवल वृद्धि हुई है। जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में प्रचालन राजस्व के 717.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022–23 में 1098.42 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जिसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 136.75 करोड़ रुपये की प्रचालन हानि में 73.50 करोड़ रुपए की कमी आई है। पिछले वित्तीय वर्ष की 2021–22 की यात्री प्राप्ति 6,497/– रु. के मुकाबले वर्ष 2022–23 में यात्री प्राप्ति 6,438/– रु. रही। पैक्स कैरिज वर्ष 2021–22 में 0.108 करोड़ रहा और जबकि वर्ष 2022–23 में 0.165 करोड़ रही। विमान उपयोग क्षमता वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 7.00 घंटे प्रति दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 8.10 घंटे प्रति दिन रही।

- वित्त वर्ष 2021–22 में 717.53 करोड़ रु. की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 1098.42 करोड रु. की प्रचालन राजस्व में वृद्धि हुई अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि हुई।
- यात्री परिवहन में 0.057 करोड़ की वृद्धि के कारण यात्री राजस्व में 225.75 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि हुई।
- ईबीटी, चार्टर्स, कोड शेयर और विविध राजस्व में 65.51 करोड रु. की वृद्धि हुई। (2.86 करोड़ रुपये से 68.37 करोड़ रुपये तक)।
- प्रचालन में 40% की वृद्धि के परिणामस्वरूप एटीएफ की लागत में 198.40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप खपत और ईंधन की कीमत में 51% की वृद्धि हुई।
- प्रचालन में वृद्धि के कारण, वेतन में 25.15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, स्पेयर की खपत में 13.51 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, एयरपोर्ट शुल्क में 13.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, हैंडलिंग शुल्क में 14.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 2 नए एटीआर 42–600 विमानों के शामिल होने से एमआरओ बिलिंग में 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2021–22 में होल्डिंग कंपनी और संबंधित पार्टियों के भुगतान हेतु ब्याज सहित वित्त लागत और परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए लीज़ देनदारी के पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में लीज़ देयता भुगतान को प्रभावित करने वाली भारतीय रुपये मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव के कारण 1171.50 करोड़ रु. से (इंड एएस 116) वित्त वर्ष 2022–23 में कुल व्यय बढ़कर 1670.73 करोड़ रुपये हो गया।
- 2021–22 के दौरान 136.75 करोड रु., वर्ष 2022–23 के लिए प्रचालन घाटा (EBIT) मूल्य वृद्धि के प्रभाव के कारण 73.50 करोड़ रु. का था। एटीएफ की राशि 126.48 करोड़ रुपये और भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण 8.41 करोड़ रुपये थी।
- वित्त वर्ष 2021–22 में एएसकेएम 76.6 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 101.4 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2021–22 में आरपीकेएम 49.8 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 69.9 करोड़ रुपये हो गया।

भावी योजनाएं

वर्तमान में, कंपनी के पास 21 विमानों का बेड़ा है जिसमें 18 एटीआर 72–600, 2 एटीआर 42–600 और 1 डोर्नियर डीओ–228 विमान शामिल है, कंपनी का बेड़ा 58 गंतव्यों के नेटवर्क पर प्रतिदिन लगभग 100 प्रस्थान प्रचालित करता है जिसमें श्रीलंका में एक अंतरर्राष्ट्रीय गंतव्य जाफना (31 मार्च, 2023) भी शामिल है। कंपनी ने अप्रैल 2022 माह में भारत में निर्मित डोर्नियर 228 विमान को शामिल किया है और जुलाई 2022 व सितम्बर 2022 माह में दो एटीआर 42–600 को अपने बेड़े में शामिल किया है। वित्त वर्ष 2019–2020 में, कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की श्रीलंका के जाफना में प्रचालन की शुरूआत की। हालांकि, कोविड प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को 11 दिसम्बर, 2022 तक होल्ड पर रखा गया था और एलाइंस एअर ने 12 दिसम्बर, 2022 से श्रीलंका में अपने अंतरराष्ट्रीय प्रचालन को पुनः आरंभ किया।

एलाइंस एअर की वर्ष 2023–24 में पूरे भारत में 14 आरसीएस रूट जोड़ने की भी योजना है। एलाइंस एअर को भारत के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतम उड़ानें प्रचालित करने का श्रेय प्राप्त है। निकट भविष्य में, एलाइंस एअर घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने उड़ान प्रचालन का विस्तार करने के लिए नए अवसरों की प्रतीक्षा कर रही है।

निगमित प्रशासन

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग, (डीपीई) द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया। निगमित प्रशासन पर तिमाही रिटर्न/वार्षिक रिटर्न निर्धारित समय में संबंधित अधिकारियों के पास जमा किए गए। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, दोनों वित्तीय वर्षों 2021–22 और 2022–23 के लिए डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत है। डीपीई ने 2021–22 के दौरान डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एएएएल को 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग से भी सम्मानित किया है।

धन्यवाद प्रस्ताव

मैं, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, महानिदेशक नागर विमानन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंक तथा नियामक एजेंसियों सहित सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और कम्पनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं, बोर्ड के अपनी सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं, कम्पनी के सभी कर्मचारियों को एलाइंस एअर को यात्रियों की पहली पसंद बनाने में उनके योगदान व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

बोर्ड की ओर से, सदैव की भांति, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

हस्ता./–
(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष

विज़न

एक सुरक्षित और विश्वसनीय एयरलाइन होने के नाते, जो अपने यात्रियों को सर्वोत्तम यात्रा का अनुभव प्रदान करती है।

लक्ष्य

हमारा मिशन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों को जोड़ना है। हमारा लक्ष्य लोगों को विश्व स्तरीय विमानन वातावरण में सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि हमारे यात्रियों के लिए हर उड़ान विशेष और यादगार बने।

फ्लीट

एटीआर 72–600 (18 एयरक्राफ्ट)
70/72 सीटर

एटीआर 42–600 (2 एयरक्राफ्ट)
48 सीटर

डोर्नियर डीओ–228 (1 एयरक्राफ्ट)
17 सीटर

नेटवर्क

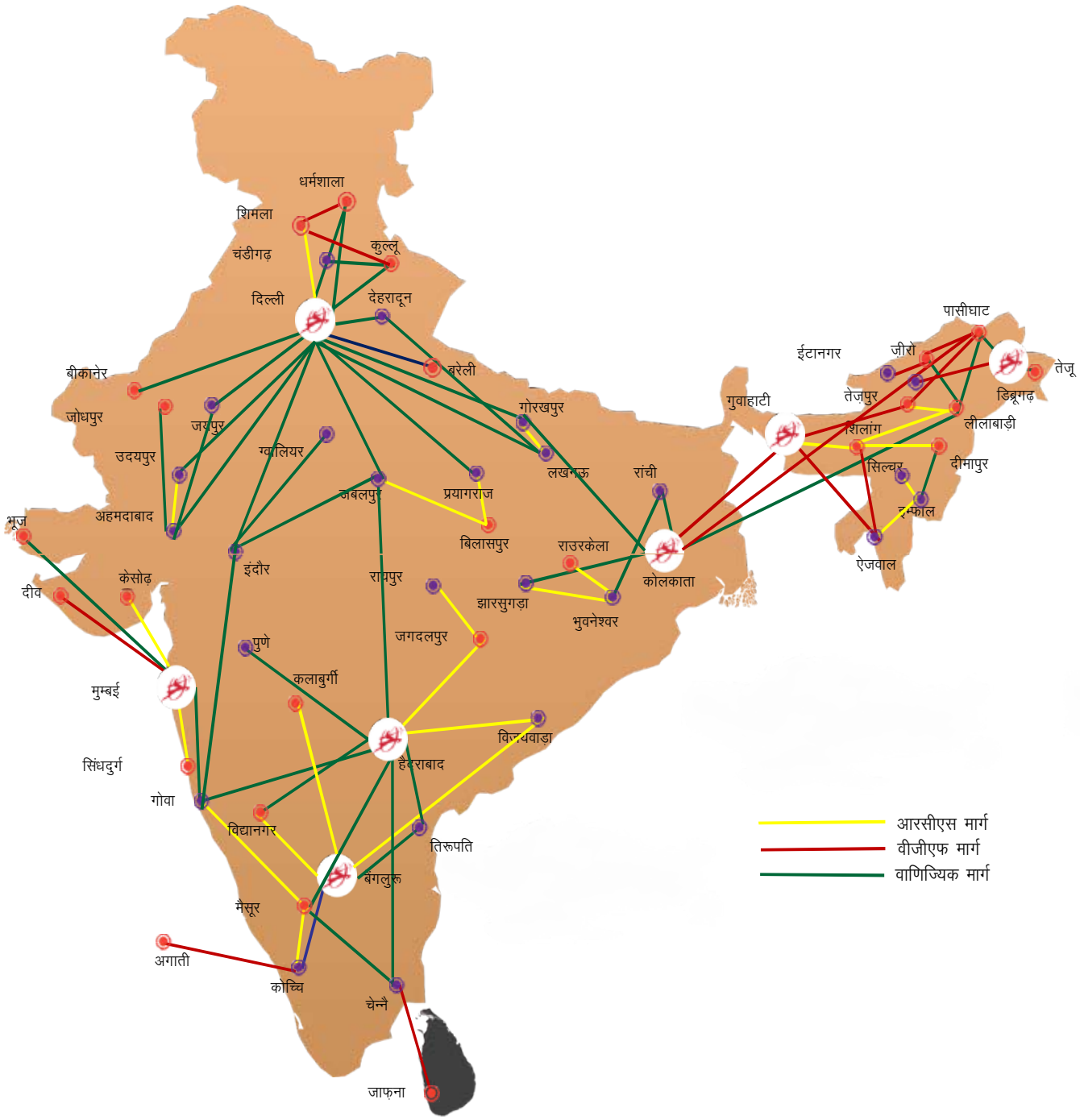
धर्मशाला
शिमला
चंडीगढ़
कुल्लू
दिल्ली
देहरादून
बीकानेर
बरेली
जोधपुर
जयपुर
गोरखपुर
उदयपुर
ग्वालियर
लखनऊ
रांची
जबलपुर
प्रयागराज
भुज
अहमदाबाद
बिलासपुर
राउरकेला
इंदौर
केसोढ़
रायपुर
कोलकाता
दीव
झारसुगड़ा
भुवनेश्वर
पुणे
जगदलपुर
कलाबुर्गी
मुम्बई
विजयवाड़ा
सिंधदुर्ग
हैदराबाद
गोवा
विद्यानगर
तिरूपति
बंगलुरू
मैसूर
अगाती
कोच्चि
चेन्नै
जाफ़ना
पासीघाट
ईटानगर
जीरो
तेजू
तेजपुर
डिब्रूगढ़
गुवाहाटी
शिलांग
लीलाबाड़ी
सिल्चर
दीमापुर
इम्फाल
ऐजवाल
आरसीएस मार्ग
वीजीएफ मार्ग
वाणिज्यिक मार्ग

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. (एएएएल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 40वीं (चालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कम्पनी का वित्तीय निष्पादन

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु. में)

विवरण	**2022–23**	**2021–22**
प्रचालन राजस्व		
निर्धारित राजस्व	**654.14**	428.39
गैर निर्धारित राजस्व	**375.91**	286.28
अन्य प्रचालन राजस्व	**68.37**	2.86
अन्य आय	**6.54**	6.58
कुल राजस्व	**1,104.96**	724.11
कुल व्यय	**1,671.53**	1,170.54
कर व्यय	**-**	1.30
अन्य व्यापक आय	**0.80**	0.37
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(566.57)**	(446.43)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) व्यापक आय	**(565.77)**	(447.39)
शेयर पूंजी	**402.25**	402.25

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 724.11 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी का कुल राजस्व 1,104.96 करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1,170.54 करोड़ रुपये की कुल खर्च की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल खर्च 1,671.53 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 446.43 करोड़ रुपये के निवल हानि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर पूर्व निवल हानि 566.57 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 447.39 करोड़ रुपये की निवल हानि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर और व्यापक आय के बाद 565.77 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई।

कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में सूचना

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी हवाई परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें भारत में मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने मौजूदा 18 एटीआर 72–600 विमानों के बेड़े में दो एटीआर 42–600 और एक डोर्नियर विमान शामिल करके अपने बेड़े का विस्तार किया है। 31 मार्च, 2023 तक 21 विमानों का कुल बेड़ा है। कंपनी

के मामलों की स्थिति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को देखें।

शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

31 मार्च, 2023 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी

31 मार्च, 2023 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने का.ज्ञा. संख्या 27(01)/पीएफसी–I/2023, दिनांक 20 अप्रैल 2023 के द्वारा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को पूंजी सम्मिश्रण के रूप में निर्धारित शर्तों के अधीन आगे के निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए (300 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में) के अनुमोदन की जानकारी दी थी।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने 20 जून 2023 को हुई अपनी बैठक में राइट बेसिस पर 100 रुपये प्रति मूल्य के 3,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, इसे 27 जून 2023 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को आबंटित किया गया। 3,00,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रुपये से बढ़कर 702.25 करोड़ रुपये हो गई।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो।

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

लाभांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

दावे नहीं किए गए लाभांश को इन्वेस्टर एजूकेशन और प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/अदावाकृत कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

रिजर्व में स्थानांतरित राशि

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉंट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 952 (849) थी, एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर एआईईएसएल से आए 6 और भारतीय वायु सेना से प्रतिनियुक्ति पर आए 05 कर्मचारी शामिल नहीं

हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 952 संविदात्मक कर्मचारियों में से 283 (29.73%) महिला कर्मचारी हैं।

31 मार्च, 2023 को कम्पनी में कैडर वार 211 पायलट, 200 केबिन कर्मी और 541 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे।

श्रेणी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक, अ.जा के 136 कर्मचारी, अ.ज.जा. के 51 कर्मचारी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 178 कर्मचारी थे।

क्षेत्रवार 31 मार्च, 2023 को 602 कर्मचारी उत्तरी क्षेत्र में, 59 कर्मचारी पश्चिमी क्षेत्र में, 134 कर्मचारी पूर्वी क्षेत्र में, 156 कर्मचारी दक्षिणी क्षेत्र में और 01 कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर में है।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग–31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
952	136	14.29	51	5.36	178	18.70

राजभाषा कार्यान्वयन–हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोतर विकास हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

राजकोष में अंशदान

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 19.25 करोड़ रुपए (12.33 करोड़ रुपए) का अंशदान दिया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2022–23 की अवधि के दौरान 9 अनुरोध/अपील प्राप्त हुए। एलाइंस एअर से संबंधित सभी आरटीआई अनुरोध/अपील का 2022–23 के दौरान निपटान कर दिया गया है।

सहायक कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों / सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित सूचना

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई सामग्री परिवर्तन नहीं हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने का.ज्ञा. संख्या 27(01) / पीएफसी–I/2023, दिनांक 20 अप्रैल 2023 के द्वारा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को पूंजी सम्मिश्रण के रूप में निर्धारित शर्तों के अधीन आगे के निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए (300 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में) के अनुमोदन की जानकारी दी थी।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने 20 जून 2023 को हुई अपनी बैठक में राइट बेसिस पर 100 रुपये प्रति मूल्य के 3,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, इसे 27 जून 2023 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को आबंटित किया गया था। 3,00,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रुपये से बढ़कर 702.25 करोड़ रुपये हो गई।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनःस्थगित बैठकों सहित) 6 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड स्ट्रैंथ	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.04.2022	4	4
2	14.07.2022	4	3
3	16.09.2022	4	3
4	11.10.2022	4	3
5	02.02.2023	4	4
6	17.03.2023	4	4

निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फ्रॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं।

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढ़ग से कार्य कर रही है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में 4 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है।

नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक 18 जनवरी, 2023 और 28 फरवरी, 2023 के का.ज्ञा. द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के कारण क्रमशः 02 फरवरी 2023 और 17 मार्च 2023 को आयोजित 179वीं और 180वीं बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च 2023 तक लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :

निदेशकों के नाम	समिति में पद	निदेशकों की श्रेणी
श्री असंगबा चूबा आओ	अध्यक्ष	सरकारी नामित निदेशक
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य	अध्यक्ष (सरकारी नामित निदेशक)
श्री प्रांजोल चन्द्रा	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक

बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के तहत दिनांक 13–07–2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 880(ई) के द्वारा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा **मैसर्स एस के कपूर एण्ड कम्पनी** को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक, दिल्ली नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के तहत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने **मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स,**कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022–23 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों रिपोर्ट की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है:

लेखापरीक्षक अवलोकन

'कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(क) का अनुपालन न करना–कंपनी के पास 18 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।'

प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां

यह कथन सही है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के अनुसार, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड भारत सरकार की सलाह से कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करेगी। 18 जनवरी 2023 से एएएएल के बोर्ड में श्रीमती उषा पाढी की नियुक्ति समाप्त होने पर, बोर्ड में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई है और कंपनी ने एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के साथ मामला उठाया है।

ऋण, गारंटी व निवेश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेशन से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं।

(क) ऊर्जा का संरक्षण–

प्रबंधन सभी प्रचालन स्तरों पर विशेष रूप से विमानन टर्बाइन ईंधन जो विमानन गतिविधि के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पर ऊर्जा के संरक्षण की गंभीरता के प्रति अत्यधिक जागरूक है। जब भी संभव हो ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में इंजन और एयरफ्रेम का रखरखाव, उड़ान योजना, प्रचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नियमित विश्लेषण आदि शामिल हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण–

(i) **प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास**–गतिशीलता समाधानों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कार्यबल प्रभावी ढंग से, कहीं से भी और कुशलता से काम कर सके। एसएपी इंडिया के ईआरपी सॉल्यूशन को वित्तीय लेखांकन और मानव पूंजी प्रबंधन के लिए लाइसेंस दिया गया है और यह प्रभावी संसाधन योजना और नियंत्रण के लिए अन्य आईटी प्रणालियों के साथ एकीकरण के अंतिम चरण में है।

(ii) **उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ** प्राप्त हुए हैं। निश्चित बुनियादी ढाँचे से साझा क्लाउड बुनियादी ढाँचे में जाने और टेल्को के वायरलेस/गतिशीलता विकल्पों को शामिल करने से लागत में बचत प्राप्त हुई है।

(iii) **आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष केप्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)**

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरणः विमान संचार पता और रिपोर्टिंग प्रणाली (एसीएआरएस)।

(ख) आयात का वर्षः 2021–2022

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई हैः प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के चरण में है और दिसंबर 2023 तक पूर्ण रुप से लागू होने की उम्मीद है।

(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण क्या है औरः यह प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइन के अनुसार है और कुछ हिस्सा विनियामक मंजूरी के कारण लंबित है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्ययः कोई नहीं

(ग) विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

	विवरण	चालू वर्ष 2022–23	गत वर्ष 2021–22
		(करोड़ रु. में)	(करोड़ रु. में)
क)	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात (सीआईएफ) पर व्यय**		
	– विमान पूर्जे और औजार	**33.39**	15.13
	–पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल	**18.18**	0.59
ख)	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय**		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	**21.15**	16.55
	– स्वदेशी पूर्जे	**शून्य**	शून्य
ग)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	– इंटरलाइन राजस्व	**2.51**	शून्य
घ)	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	**394.63**	370.68
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	**51.57**	15.71
	– तकनीकी साहित्य	**3.10**	2.25
	– प्रशिक्षण और यात्रा	**0.11**	0.13
	– विधिक प्रभार	**0.25**	0.24
	– ईंधन एवं अवतरण/पार्किंग	**4.23**	शून्य
	– पीएसएस संबंधित	**1.37**	शून्य

जमा

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

एमएसई अनुपालन

एएएएल का हमेशा से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देने का प्रयास रहा है। एएएएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 14.77 करोड़ रुपये थी।

महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोईंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभ अर्जित न किए जाने के कारण, कम्पनी पर लागू नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

वर्ष 2022–2023 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

i संबंधित 02 वर्ष (केस बंद) के दौरान यौन उत्पीड़न की शून्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ii 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या शून्य है।

iii यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः

सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर ''क्या करें और क्या ना करें,'' यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

iv कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

निगमित प्रशासन

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलवा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को **अनुलग्नक–क** में संलग्न किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैः

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का अवलोकन करें।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की व्याख्या करें।

- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करें।
- एक ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करें जो सभी कर्मचारियों को जोखिमों और संबंधित अवसरों की पहचान करने और प्रभावी कार्यों के साथ उनका जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करे।
- कंपनी की मानव, भौतिक और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यूनतम व्यवधान और लागत के साथ योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से मौजूदा और नए जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करें।

वार्षिक रिर्टन

कम्पनी नियम 2014 के नियम 12(1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92(3) के प्रावधानों के तहत वार्षिक रिर्टन का सार फार्म एमजीटी 9 **अनुलग्नक–ख** और एलाइंस एअर एविएशन लि. की वेबसाइट www.allianceair.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 134(3)(क) के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://plone.allianceair.in/allianceair/en/assets/annual-report-and-mgt9/form-mgt-7-2022-23.pdf पर डाली जाएगी।

स्वतंत्रता की घोषणा

एएएएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेंगी।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए:–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
1.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष	27 जनवरी, 2022	28 फरवरी, 2023	अध्यक्ष पद से पदमुक्त
2.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	अध्यक्ष	01 मार्च, 2023	–	–
3.	सुश्री उषा पाढी	निदेशक	25 जनवरी, 2022	18 जनवरी, 2023	निदेशक पद से पदमुक्त
4.	श्री दीपक कुमार सजवान	निदेशक	27 जनवरी, 2021	18 जनवरी, 2023	निदेशक पद से पदमुक्त
5.	श्री असंगबा चूबा आओ	निदेशक	18 जनवरी, 2023	–	–
6.	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	निदेशक	18 जनवरी, 2023	–	–

बोर्ड की समितियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि निर्देशकों का मूल्यांकन मंत्रालय जो कि कम्पनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति व उनके वेतन के लिए नीति

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ई) के तहत एलाइंस एअर एविएशन लि. को सरकारी कम्पनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें वेतन मानदंड, योग्यता निर्धारण तथा अन्य मदें भी शामिल होती हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं हैं। परिणाम स्वरुप धारा 178(3) के तहत निर्देशकों की नियुक्ति पर कम्पनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

परिणामस्वरुप प्रत्येक निर्देशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जिसमें कम्पनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाती सूची शामित है जिन्होंने नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

संबंधित पार्टियों के साथ कॉंट्रेक्ट या व्यवस्था का विवरण

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

किसी सरकारी कंपनी को आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में धारा 188 की उप–धारा (1) के पहले और दूसरे नियम से किसी अन्य सरकारी कम्पनी के साथ उसके द्वारा किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में छूट प्रदान की गई है।

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के अनुमोदन के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

फॉर्म एओसी–2 में अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण **अनुलग्नक–ग** में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं आयी, जिसके लिए संवैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा 143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक था।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग और कानूनों और विनियमों के अनुपालन में प्रचालन क्षमता, सटीकता और मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और क्षमता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं और विनियमों का अनुपालन शामिल हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, जो आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी लंबित प्रक्रिया का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया है या कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का, एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड, कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 सितम्बर, 2023

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

❖ वर्ष 2021–22 के दौरान अर्जित 1,104.96 करोड़ रु. के राजस्व की तुलना में, वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 724.11 करोड़ रु. रहा।

व्यय

❖ गत वर्ष व्यय किए गए 1,671.53 करोड़ रु. की तुलना में, वर्ष के दौरान 1,170.54 करोड़ रु. का कुल व्यय किया गया।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2023 को एएएएल में नियत अवधि रोजगार अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की संख्या 952 रही। इसके अतिरिक्त एआईईएसएल से 06 कर्मचारी और भारतीय वायु सेना से 05 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध दृश्य शान्तिपूर्ण रहा।

विमान बेड़े की स्थिति

31 मार्च, 2023 को एएएएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही :–

विमान	एमएसएन	टाइप
वीटी–एआईआई	1197	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईटी	1226	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईयू	1246	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवी	1252	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईडब्ल्यू	1272	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईएक्स	1268	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवाई	1273	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईजैड	1279	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेसी	1381	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेडी	1383	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेई	1421	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएफ	1423	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजी	1427	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएच	1434	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजे	1439	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेके	1445	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएल	1456	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएम	1463	एटीआर–72–212ए
वीटी–यूडीए	1608	एटीआर–42–600
वीटी–यूडीबी	1609	एटीआर–42–600
वीटी–केएनपी	एचएएल– के/डीओ228/4130	डीओ–228

समय पर निष्पादन और तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता

i) वर्ष 2022–23 के दौरान समय पर निष्पादन निम्नानुसार था:

समय पर निष्पादन (ओटीपी)	
अवधि	**ओटीपी**
वित्तीय वर्ष 2022–23	78.50

ii) वर्ष 2022–23 के दौरान विमान तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार थी:

विमान प्रकार	अवधि	तकनीकी प्रेषण उपयोगिता
एटीआर 72–600	वित्तीय वर्ष 2021–22	98.94%
एटीआर 72–600	वित्तीय वर्ष 2022–23	99.06%
एटीआर 42–500		99.38%
डीओ–228		99.13%

विमान उपयोगिता

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विमान उपयोगिता इस प्रकार रही :

वित्तीय वर्ष	उड़ान घंटे उपयोगिता	ब्लॉक घंटे उपयोगिता
2022–23	43101:55	54805:36

विपणन पहल

वर्ष 2022–23 के दौरान निष्पादन निम्नानुसार है:

स्टेशनों की सं.: 58
प्रस्थान प्रतिदिन: 110

राजस्व निष्पादन

माह	यात्री राजस्व	यात्री राजस्व, ईबीटी, मेल कार्गो	आरसीएस + वीजीएफ (राजस्व)	चार्टर राजस्व	अन्य राजस्व	कुल प्रचालन राजस्व
एआई माईग्रेटिड पीएनआर	-	47.47	-	-	15.26	62.73
अप्रैल–22	1,31,847	33.57	32.92	-	2.93	69.42
मई–22	1,35,620	43.96	32.96	0.24	3.58	80.74
जून–22	1,30,825	45.27	29.48	-	3.95	78.70
जुलाई–22	1,22,221	44.17	30.01	0.62	3.89	78.69
अगस्त–22	1,22,932	46.55	29.14	-	3.93	79.62
सित.–22	1,25,985	55.15	28.09	0.58	4.50	88.32
अक्तू.–22	1,46,301	57.67	28.98	0.09	5.05	91.79
नव.–22	1,43,881	52.90	30.96	0.73	4.54	89.13
दिस.–22	1,69,591	68.64	32.32	0.45	6.33	107.75
जन.–23	1,46,514	51.91	32.04	-	5.03	88.97
फर.–23	1,36,581	46.54	29.35	4.64	4.42	84.96
मार्च–23	1,34,580	60.33	29.75	2.56	4.95	97.59
कुल	**16,46,878**	**654.14**	**365.99**	**9.91**	**68.37**	**1,098.41**

वास्तविक सॉख्यिकी

माह	अनुमानित सीट क्षमता	% सीट फैक्टर	ओटीपी	प्रस्थानों की कुल संख्या
अप्रैल–22	1,95,300	67.51%	74.20%	3,205
मई–22	1,86,097	72.88%	76.20%	3,279
जून–22	1,81,349	72.14%	74.90%	3,229
जुलाई–22	1,83,329	66.67%	79.60%	3,297
अगस्त–22	1,89,111	65.01%	81.20%	3,385
सित.–22	1,94,112	64.90%	81.10%	3,261
अक्तू.–22	2,06,216	70.95%	82.80%	3,617
नव.–22	2,00,822	71.65%	83.10%	3,453
दिस.–22	2,23,623	75.84%	75.00%	3,570
जन.–23	2,18,538	67.04%	74.90%	3,783
फर.–23	1,99,979	68.30%	75.90%	2,809
मार्च–23	2,12,392	63.36%	82.50%	3,402
वित्तीय वर्ष 2022–23	**23,90,866**	**68.90%**	**78.50%**	**40,290**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आरंभ किए गए नए मार्ग

मार्ग	आवृत्ति	प्रभावी
डिब्रूगढ़ / पासीघाट / लीलाबाड़ी	सप्ताह में 2 बार	12 अप्रैल, 2022
मुम्बई–केसोढ़–मुम्बई	सप्ताह में 3 बार	16 अप्रैल, 2022
चेन्नै / मैसूर / चेन्नै	दैनिक	12 अगस्त, 2022
दिल्ली / शिमला / दिल्ली	दैनिक	26 सितम्बर, 2022
शिल्चर / इम्फाल / शिल्चर	दैनिक	25 नवम्बर, 2022
बिलासपुर / इंदौर / बिलासपुर	सप्ताह में 4 बार	03 अक्तूबर, 2022
जबलपुर / इंदौर / जबलपुर	सप्ताह में 3 बार	04 अक्तूबर, 2022
ग्वालियर / इंदौर / ग्वालियर	सप्ताह में 3 बार	04 अक्तूबर, 2022
लीलाबाड़ी / तेज़पुर / लीलाबाड़ी	सप्ताह में 4 बार	30 अक्तूबर, 2022
इम्फाल / एज़वाल / इम्फाल	सप्ताह में 4 बार	30 अक्तूबर, 2022
ज़ीरो / लीलाबाड़ी / ज़ीरो	सप्ताह में 4 बार	30 अक्तूबर, 2022
दिल्ली / जेसलमेर / दिल्ली	सप्ताह में 3 बार	30 अक्तूबर, 2022
शिलॉग / लीलाबाड़ी / शिलॉग	सप्ताह में 3 बार	31 अक्तूबर, 2022
होलोंगी / ज़ीरो / होलोंगी	सप्ताह में 2 बार	29 नवम्बर, 2023
होलोंगी / पासीघाट / होलोंगी	सप्ताह में 2 बार	30 नवम्बर, 2023
शिमला / देहरादून / शिमला	सप्ताह में 3 बार	09 दिसम्बर, 2022
शिमला / कुल्लू / शिमला	सप्ताह में 4 बार	09 दिसम्बर, 2022
उदयपुर / अहमदाबाद / उदयपुर	दैनिक	09 दिसम्बर, 2022
हैदराबाद / तिरुपति / हैदराबाद	दैनिक	09 दिसम्बर, 2022
बैंगलूरु / विद्यानगर / बैंगलूरु	दैनिक	09 दिसम्बर, 2022
हैदराबाद / विद्यानगर / हैदराबाद	दैनिक	09 दिसम्बर, 2022
चेन्नै / ज़ाफना / चेन्नै	सप्ताह में 4 बार	12 दिसम्बर, 2022

मार्ग	आवृत्ति	प्रभावी
भुवनेश्वर / राउरकेला / भुवनेश्वर	दैनिक	07 जनवरी, 2023
दिल्ली / अमृतसर / दिल्ली	दैनिक	26 मार्च, 2023
दिल्ली / देहरादून / जम्मू / देहरादून / दिल्ली	सप्ताह में 3 बार	26 मार्च, 2023
गुवाहाटी / डिब्रूगढ़ / गुवाहाटी	सप्ताह में 4 बार	26 मार्च, 2023
दिल्ली / इंदौर / दिल्ली	सप्ताह में 4 बार	26 मार्च, 2023
इंदौर / गोवा / इंदौर	सप्ताह में 2 बार	26 मार्च, 2023
प्रयागराज / देहरादून / प्रयागराज	सप्ताह में 3 बार	27 मार्च, 2023
देहरादून / जम्मू / देहरादून	सप्ताह में 3 बार	28 मार्च, 2023
जबलपुर / हैदराबाद / जबलपुर	सप्ताह में 3 बार	28 मार्च, 2023
गोरखपुर / कोलकाता / गोरखपुर	सप्ताह में 2 बार	28 मार्च, 2023

वित्तीय वर्ष 2023–24 में नए प्रस्तावित मार्ग

मार्ग	उड़ान का प्रकार	आवृत्ति
जोरहाट–पासीघाट–जोरहाट	आरसीएस	दैनिक
दिल्ली–बटिंडा–दिल्ली	आरसीएस	दैनिक
बैग्लोर–सलेम–बैग्लोर	आरसीएस	दैनिक
कोचिन–सलेम–कोचिन	आरसीएस	दैनिक
अमृतसर–शिमला–अमृतसर	आरसीएस	दैनिक
अमृतसर–कुल्लू–अमृतसर	आरसीएस	दैनिक

उत्तर–पूर्व प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उत्तर–पूर्व में उड़ान प्रचालन

मार्ग	आवृत्ति	उड़ान प्रकार
गुवाहाटी–तेज़पुर–पासीघाट–तेज़पुर–गुवाहाटी	साप्ताहिक 3 उड़ानें	वीजीएफ
कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	दैनिक	वीजीएफ
कोलकाता–लीलाबाड़ी–कोलकाता	दैनिक	वीजीएफ
कोलकाता–गुवाहाटी–ऐज़वाल–शिलॉग एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	वीजीएफ
गुवाहाटी–दीमापुर–इम्फाल–एवं वापसी	दैनिक	वीजीएफ
गुवाहाटी–शिलॉग–दीमापुर एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	वीजीएफ

उपलब्धियां

- एलाइंस एअर ने 6 अप्रैल 2022 को डोर्नियर 228 को शामिल किया और 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ से पासीघाट और लीलाबाड़ी के लिए उड़ान आरंभ की।
- एलाइंस एअर 15 अप्रैल 2022 से प्रभावी रूप से नए पीएसएस–पैक्सलिंक (कोलिन्स एयरोस्पेस) सिस्टम में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गया।
- एलाइंस एअर ने आरसीएस उड़ान 4.3 राउंड में उसे दिए गए 129 मार्गों में से 99 मार्गों को शुरू कर दिया है। शेष मार्गों पर उड़ानें शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, बशर्ते कि हवाई अड्डों को एटीआर–72 600 / एटीआर–42 600 प्रकार के विमानों के लिए चालू किया जाए।

- एलाइंस एअर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य मौजूदा हवाई अड्डों तक विस्तार करने के अलावा नए खुले हवाई अड्डों पर भी उड़ानें तैनात कीं।
- एलाइंस एअर ने अरुणांचल प्रदेश सरकार के सहयोग से तेजू, जीरो और ईटानगर के लिए उड़ानें आरंभ कीं।
- एलाइंस एअर ने 12 दिसंबर 2022 से श्रीलंका के जाफना में अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन की सिफारिश की।
- प्रतिस्पर्धी चार्टर दरें पेश की गईं।
- एलाइंस एअर ने शिमला में आयोजित एक आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट को प्रायोजित किया।
- कॉर्पोरेट व्यवसाय, नेटवर्क वितरण, एमआईसीई और छात्र खंड पर विशेष ध्यान।
- 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया।
- एलाइंस एअर नेटवर्क पर बेहतर बिक्री के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से मध्य स्तर के एजेंटों को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए रणनीतिक प्रयास।
- एनजीओ के सभी महिला समूह की एक सीएसआर गतिविधि अक्टूबर 2023 में मुंबई से केशोड तक आयोजित की गई।
- एकाधिक उड़ान प्रक्षेपण के लिए उद्घाटन सामग्री।
- रेडियो विज्ञापन इंट्रा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान हेतु नए उड़ानों (दिल्ली–जैसलमेर–दिल्ली, दिल्ली–उदयपुर–दिल्ली और उदयपुर–अहमदाबाद–उदयपुर) के लिए बनाए गए थे।
- बिक्री बढ़ाने के लिए पूरे भारत में ओटीए, टूर ऑपरेटर, ब्रिक एंड मोर्टार एजेंट, (आईएटीए और गैर आईएटीए दोनों) एजेंट नियुक्त किए गए। श्रीलंका में एक जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) नामित किया गया है।
- छात्रों के लिए निःशुल्क सामान भत्ता बढ़ाया गया।
- अग्रिम सीट चयन के लिए सहायक सेवाएं प्रदान की गईं।
- अतिरिक्त घरेलू सामान की अग्रिम खरीद।
- एक केंद्रित एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग पहल शुरू की गई।
- वीडियो अभियानों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डिजिटल मार्केटिंग में संलग्न।
- नई उड़ानों और प्रचारों को उजागर करने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (ओटीए) पर बैनर डिस्प्ले लागू किया गया।
- कई नए मार्गों की शुरूआत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक मीडिया कवरेज।
- ग्राहकों की पूछताछ के लिए चेन्नई और पुणे में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।
- ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक समर्पित वेबसाइट "www.allianceair.in" लॉन्च की गई है।

पुरस्कार

- ओडिशा को एफआईएच विश्व कप के दौरान भुवनेश्वर–राउरकेला–भुवनेश्वर मार्गों पर 34 चार्टर्स के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एलाइंस एअर को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ।
- एलाइंस एअर ने भारत सरकार की आरसीएस एवं उड़ान योजना के तहत सक्रिय भागीदारी के लिए **विंग्स इंडिया 2022 पुरस्कार** जीता।

वर्ष 2022–23 के दौरान किराए

एयरलाइन द्वारा 2022–2023 के दौरान अन्य बातों के साथ संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित बाजार किराए की पेशकश की गई:

- ऋतु बदलाव

- वीजीएफ/आरसीएस सेक्टर
- उड़ान आवृत्ति
- डायरेक्ट/इन–डायरेक्ट मार्ग
- प्रतिस्पर्धी किराया

प्रमोशनल योजना

- वर्ष के दौरान मानसून सेल, वीकेंड सेल, उत्सव सेल, वीकेंड सेल, नवंबर सेल, महीने के अंत की सेल, साल के अंत की सेल, गणतंत्र दिवस सेल, होली सेल और नवरात्रि सेल शुरू की गई।
- आकर्षक कटौती और वेतन प्रोत्साहन और पीएलबी योजना की पेशकश की गई।
- बाजार में समूह किराये की पेशकश की गई।

यात्रियों की शिकायतों का समाधान

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान अग्रसक्रिय शिकायतों का समाधान किया गया:–

तिमाही	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें
1 तिमाही	650	650
2 तिमाही	638	638
3 तिमाही	263	263
4 तिमाही	211	211
वित्तीय वर्ष 2022–23	**1762**	**1762**

इंजीनियरिंग पहल

विशिष्ट मदों/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए, बचाई गई राशि का परिमाण करते हुए, अपनाए गए किफायती उपाय और उपलब्धियां:

- मैसर्स एटीआर के साथ जीएमएसए समझौता किया गया जिसके तहत कुल बिलिंग में से लगभग 4 करोड़ रु. की बिलिंग कम हो गई।
- अब, हमारी सुविधा पर इंजन पीटी पैक हटाने पर, पी एंड डब्ल्यू की लागत पर, प्रति सेट हटाने पर लगभग 20 लाख रुपये की बचत होती है।
- अनुकूलित विमान अनुरक्षण कार्यक्रम।
- एनएवी डेटा पैकेज विक्रेता के साथ समीक्षा की और बिलिंग कम हो गई है।
- बेड़े की अधिक उपलब्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित अनुरक्षण पर कम टीएटी।
- सही सामग्री, सही समय पर सही जगह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी खरीद और लॉजिस्टिक अनुभाग को सुव्यवस्थित किया गया।

विमानन ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक संक्षिप्त नोट। रखरखाव में सुधार के लिए किए गए उपायों और प्रभावित बचत को भी इंगित किया जा सकता है।

एएएएल द्वारा खरीदे गए ईंधन परीक्षक उपकरण को एटीआर 72–600 बेड़े में ईंधन असंतुलन के प्रबंधन हेतु एआईईएसएल को सौंप दिया गया है।

इंजीनियरिंग और रखरखाव गतिविधियों का बेस, नई शॉप, प्रमुख कार्यों, बाहरी स्टेशनों सहित विवरण

- नाइट हॉल्ट बेस की संख्या–07 (दिल्ली, हैदराबाद कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर और गोवाहाटी)।
- दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एआईईएसएल और अन्य वैण्डर की शॉप पर एएएएल के रोटेबल पुर्जों (अग्निशमन, ऑक्सीजन की बोतलें, बैटरी, एसएससीवीआर, एसएसएफडीआर, ईएलटी, व्हील एसे, ब्रेक आदि) की सर्विस की जा रही है।

अन्य एयरलाइंस/संगठन को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं का विवरण और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

एआईईएसएल और एएएएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, सभी एएमई (प्रमाणित कर्मचारी) को अलग कर दिया गया है और एएएएल से एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए विमान संबंधी सभी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण का प्रबंधन एआईईएसएल द्वारा किया जा रहा है।

विमान उपयोगिता, इंजीनियरों की उपलब्धता, नए मार्गों/सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के संदर्भ में 2023–24 की योजना और बेड़े के विस्तार की योजना।

- डोर्नियर परियोजना में, कैप्शन मुद्दे के कारण एक अन्य विमान वीटी–केएनक्यू के शामिल होने की प्रतीक्षा है।
- हम अपने विमान उपयोग को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में और अधिक बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं, जैसे कि हमारे द्वारा ज़ाफना से श्रीलंका के अन्य शहरों तक का प्रचालन विस्तार किया गया है।

उड़ान संरक्षा

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के तहत एफओक्यूए (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक और रैम्प जांच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 70 घटनाएं रिपोर्ट की गई जिनमें से डीजीसीए प्रतिनिधियों सहित कंपनी के स्थायी जांच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 46 घटनाओं की जांच की गई तथा शेष 23 घटनाओं को डीएएस (उ.क्षे.) कार्यालय द्वारा पीआईबी के लिए उचित नहीं माना गया और 1 (टीए/आरए) की जांच डीजीसीए द्वारा जांच की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 में शून्य गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कुल 19 बर्ड हिट/हड़ताल की घटनाएं दर्ज की गईं और 24 मार्च, 2023 को एटीआर 72–600 विमान वीटी–आरकेएच विमान की क्षति हुई। संबंधित एरोड्रम अधिकारियों के साथ–साथ इन घटनाओं के बारे में डीजीसीए को सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए :

- बेस स्टेशन (दिल्ली) का आंतरिक लेखा परीक्षा और 24 लाइन स्टेशनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा अनुमोदित योजना 2022–23 के अनुसार की गई।
- पूरे संगठन में गुणवत्ता आश्वासन और एसएमएस के लिए एसक्यूएमएस (सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) खरीदा गया है और सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- प्रशिक्षण सत्र के दौरान एफओक्यूए प्रवृत्तियों को महत्व देने के लिए तिमाही आधार पर प्रशिक्षण विभाग के साथ साझा किया गया।
- एफडीएपी कार्यक्रम के अनुसार क्रू को रेड की अधिकता के लिए समय पर सावधान किया गया, सलाह दी गई और परामर्श दिया गया।
- एसएजी (सुरक्षा कार्रवाई समूह) की बैठकें हर महीने आयोजित की जा रही हैं और कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2022–2023 के लिए कुल 84 स्वैच्छिक रिपोर्टें प्राप्त हुईं और बंद कर दी गईं।
- संबंधित बेड़े की लोड और ट्रिम शीट का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है और सीएआर के अनुसार स्पॉट जांच की जा रही है।
- स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों को मासिक आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और कार्यान्वयन हेतु भेजा जाता है।

- मई (2022), अक्तूबर (2022) एवं मार्च 2023 माह में इन–हाउस एसआरएम/एसआरबीएम आयोजित किए गए।
- एलाइंस एअर के आईओएसए पंजीकरण की परिकल्पना करते हुए, उड़ान संरक्षा विभाग ने मार्च 2023 के महीने में आईएटीए द्वारा आईओएसए और एसआरएम प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

विनिवेश के बाद कोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एयर इंडिया से अलग कर दिया गया है और एलाइंस एअर अब टर्मिनल–1 आईजीआईए और 58 एयरपोर्टों पर मुख्यालय के लिए क्लाउड पर जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर (कहीं से भी सुरक्षित रूप से काम) के साथ आत्मनिर्भर है। सभी होस्ट किए गए एप्लिकेशन इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क में उपलब्ध हैं। अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस अपग्रेड किए गए हैं, और नवीनतम सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। केंद्रीय स्थान से 58 एयरपोर्टों की क्लाउड–आधारित सुरक्षा और दूरस्थ प्रबंधन को लागू करके लागत बचत हासिल की गई है। एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को एयरपोर्ट के ऑपरेटरों के बुनियादी ढांचे को किराए पर लिए बिना कम लागत वाले उपकरणों, बाह्य उपकरणों के साथ लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय में बचत हुई है।

एलाइंस एअर के पास अब अपना स्वतंत्र ईमेल डोमेन, ईमेल रिले सर्वर, एसएमएस गेटवे और प्रति उपयोग भुगतान मॉडल के रूप में क्लाउड पर अपना स्वयं का जीएसएम आधारित वॉयस नेटवर्क है और इस मोर्चे पर भी उसने बचत हासिल की है।''

प्रचालन

विमानन ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक संक्षिप्त नोट। उड़ान मार्गों को छोटा करने, उड़ानों के अनुकूलन, उड़ान तकनीक में सुधार/रखरखाव और प्रभावित बचत के लिए किए गए उपायों को भी इंगित किया गया है।

प्रचालन विभाग द्वारा ईंधन बचत के लिए किए गए उपायः

1. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों के लिए पिछले छः महीनों में मैनुअल उड़ान योजना के बजाय कम्प्यूटरीकृत उड़ान योजना (सीएफपी) लागू की गई।

   सीएफपी वास्तविक हवा, यात्रा की दूरी और विमान के वास्तविक वजन के आधार पर गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए उड़ान स्तर का अनुकूलन करता है, परिणामस्वरूप समग्र ईंधन खपत कम हो जाती है। सीएफपी वास्तविक टेकऑफ वजन के आधार पर गंतव्य के लिए उड़ान भरने के लिए आवश्यक सटीक ईंधन की भी भविष्यवाणी करता है, जिससे अतिरिक्त ईंधन ले जाने से बचा जाता है जो उच्च पेलोड विशेष रूप से आरटीओडब्ल्यू प्रतिबंधित रनवे है।

2. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों (एटीआर 72–600 विमान) में अवतरण गति को संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 77280 किलोग्राम प्रति सप्ताह (560 उड़ानें प्रति सप्ताह) ईंधन की बचत हुई और लागत में लगभग 8.19 लाख रु. की प्रति सप्ताह बचत हुई। यह परिवर्तन फ्लाइट क्रू को स्थिर दृष्टिकोणों को उड़ान भरने में भी मदद करता है।

3. विकल्पों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे गंतव्य से न्यूनतम दूरी पर हों। इसलिए ब्लॉक ईंधन की आवश्यकता कम हो जाती है जो उच्च पे लोड और ईंधन की बचत को सक्षम बनाता है।

4. ईंधन टैंकरिंग की अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है और प्रचालन विभाग द्वारा हर पखवाड़े में ईंधन टैंकरिंग परिपत्र जारी किया जा रहा है। प्रत्येक स्टेशन पर ईंधन की सटीक, अद्यतन और संशोधित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन और वित्त विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय किया जा रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेक्टर वाणिज्यिक उड़ान या आरसीएस उड़ान के रूप में प्रचालित किया जा रहा है या नहीं।

5. चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर होटल मोड के बजाय ग्राउंड कूलिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत कम हो रही है।

6. पायलटों को जहां तक संभव हो स्ट्रेट इन अप्रोच/विजुअल अप्रोच प्रचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे विमान द्वारा तय किए गए ट्रैक मील कम हो जाते हैं।

7. एटीसी प्रक्रियाओं के पालन में एलाइंस एअर कॉकपिट क्रू द्वारा पोस्ट लैंडिंग में सिंगल इंजन टैक्सी का पालन किया जा रहा है।

8. कॉकपिट चालक दल को खंड के स्तर के बजाय अवरोह के शीर्ष से निरंतर अवतरण तकनीक को प्रोत्साहित किया जाता है जो ईंधन की बचत में सहायता करता है। यह आवाज़ कम करने के नियमों में भी मदद करता है।

9. एलाइंस एअर को अगस्त 2023 माह में डीजीसीए से आरएनपी अप्रोच की मंजूरी मिल गई है।

यह मंजूरी एएएएल को कम न्यूनतम सीमा के साथ एयरफील्ड्स में प्रचालन करने में सहायता मिलेगी और गंतव्यों पर प्रचालन और पहुंचने के लिए आवश्यक ट्रैक–मील को कम करने में पायलट की सहायता करेगी। यह दृष्टिकोण एलाइंस एअर के उड़ानों की सुरक्षा स्तर को भी बढ़ाएगा।

ईंधन टैंकरिंग:

प्रत्येक स्टेशन पर स्थानीय करों की भिन्नता के कारण विमान ईंधन की लागत अलग–अलग होती है। ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए, अतिरिक्त ईंधन उठाने के प्रयास किए जाते हैं जहां से ईंधन की कीमत सस्ती होती है यदि पेलोड अनुमति देता है (लोड स्थिति के तहत) और विनियमित लैंडिंग वजन (आरएलडब्ल्यू) और विनियमित टेक–ऑफ वजन (आरटीओडब्ल्यू) के भीतर सीमाएं. ऐसे अन्य कारक भी हैं जो मौसम और पेलोड जैसे ईंधन की अतिरिक्त खपत का कारण बनते हैं।

वर्तमान में, एलाइंस एअर औसतन 60 सेक्टरों में मासिक आधार पर ईंधन टैंकरिंग कर रही है। प्रचालन विभाग द्वारा महीने में एक बार ईंधन टैंकरिंग से संबंधित परिपत्र जारी किया जाता है। ईंधन की कीमत में अंतर के आधार पर, ईंधन टैंकरिंग के क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया जाता है।

कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की विमान प्रकार–वार संख्या, प्रशिक्षण के उड़ान घंटे और प्रशिक्षण पैटर्न में बदलाव, यदि कोई हो।

प्रशिक्षित कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या (2022–2023)

	प्रशिक्षित/अपग्रेडेड पायलटों (एटीआर 72–600) की संख्या					
	(पी1) (ट्रांजिसन कप्तानों एवं पीआईसी अपग्रेड सहित)	पी2	डीई	टीआरआई	एसएफआई	एलटीसी
कुल पायलट	10	16	–	4	1	2

प्रशिक्षित कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या (2022–2023)

	प्रशिक्षित/अपग्रेडेड पायलटों (डीओ–228) की संख्या					
	(पी1) (ट्रांजिसन कप्तानों सहित)	पी2	डीई	टीआरआई	एसएफआई	एलटीसी
कुल पायलट	1	1	–	–	–	1

प्रतिभागियों–पायलटों/केबिन क्रू आदि की संख्या के साथ निष्पादन/तकनीकी/ अनुमोदन पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण की संख्या

प्रशिक्षण का प्रकार	पी 1 की संख्या	पी 2 की संख्या
प्रारंभिक सीआरएम	09	23
संयुक्त सीआरएम	45	65
फायर स्मोक डोर ड्रिल प्रशिक्षण	44	51
प्रारंभिक डीजीआर	08	21
डीजीआर	41	20

प्रशिक्षण का प्रकार	पी 1 की संख्या	पी 2 की संख्या
एटीआरपी पाठ्यक्रम	08	00
एटीआर 72–600 विशेष ऑप्स मैनुअल प्रशिक्षण	02	06
एटीआर 72–600 आवर्ती टीआरआई ग्राउंड प्रशिक्षण	02	00
एटीआर 72–600 आवर्ती एलटीसी ग्राउंड ट्रेनिंग	02	00
एटीआर 72–600 पीआईसी अपग्रेड ग्राउंड ट्रेनिंग	00	04
एटीआर 72–600 ऑनलाइन आवर्ती ग्राउंड प्रशिक्षण	81	77
एटीआर 72–600 ऑनलाइन विस्तारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण	01	03
नए पायलटों के लिए एटीआर 72–600 ओसीसी ऑप्स मैनुअल	00	06
एटीआर 72–600 आवर्ती एलटीसी ग्राउंड ट्रेनिंग	02	00
एसईपी फायर स्मोक डोर ड्रिल प्रशिक्षण	04	02
एसईपी प्रशिक्षण	02	06
नए पायलटों के लिए एटीआर 72–600 ओसीसी	07	17
एटीआर 72–600 घटना सुधारात्मक ग्राउंड प्रशिक्षण	02	00
एटीआर 72–600 विस्तारित रिफ्रेशर ग्राउंड प्रशिक्षण	02	00
एटीआर 72–600 सुधारात्मक एलटीसी ग्राउंड ट्रेनिंग	01	00
एलटीसी से ट्राई अपग्रेड ग्राउंड ट्रेनिंग	04	00
एटीआर 42–600 अंतर ग्राउंड ट्रेनिंग	67	47
विस्तारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण	01	02
डीओ–228 सीआरएम प्रशिक्षण	02	00
डीओ–228 एलटीसी रिफ्रेशर ग्राउंड ट्रेनिंग	01	00
डीओ–228 ओसीसी ओपीएस मैनुअल ग्राउंड ट्रेनिंग	02	00
डीओ–228 ओसीसी विस्तारित रिफ्रेशर ग्राउंड प्रशिक्षण के साथ	05	00

पायलटों के प्रशिक्षण की स्थिति पर एक नोट

01.04.2022 से 31.03.2023 तक कुल 11 पीआईसी और 17 सह–पायलट जारी किए गए।

दिए गए सिम्युलेटर प्रशिक्षण का विवरण (2022–2023)।

सिम्युलेटर प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	सिम्युलेटर प्रशिक्षण विवरण	समेकित विवरण पी1 और पी2 के लिए घंटों की संख्या
1	अप्रैल, 2022	233:45
2	मई, 2022	319:00
3	जून, 2022	365:15
4	जुलाई, 2022	262:30
5	अगस्त, 2022	152:00
6	सितम्बर, 2022	349:15

क्र.सं.	सिम्युलेटर प्रशिक्षण विवरण	समेकित विवरण पी1 और पी2 के लिए घंटों की संख्या
7	अक्तूबर, 2022	186:00
8	नवम्बर, 2022	291:15
9	दिसम्बर, 2022	124:00
10	जनवरी, 2023	252:45
11	फरवरी, 2023	148:00
12	मार्च, 2023	133:30

विभिन्न आर्थिक उपायों को अपना कर विशिष्ट वस्तुओं/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए बचाई गई राशि की मात्रा का निर्धारण

प्रचालन विभाग द्वारा अपनाए गए प्रमुख आर्थिक उपाय निम्नानुसार हैं:–

- ईंधन/ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायः ईंधन टैंकरिंग की गहनता से मूल्यांकन किया जा रहा है और ईंधन टैंकरिंग परिपत्र महीने में एक बार जारी किया जाता है।
- क्रू के अधिकतम उपयोग हेतु क्रू उपलब्धता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- विदेशी पायलटों को चरणबद्ध तरीके से हटानाः एलाइंस एअर में विदेशी अनुबंधों को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। वर्तमान में, 12 विदेशी पायलट हैं जिनमें से 11 पायलट भारतीय अनुबंध (एएएएल एफटीईए) पर हैं।
- वाहन उपयोग को कम करने वाले सभी मार्गों पर क्रू परिवहन को क्लब किया जा रहा है, इससे कंपनी की परिवहन लागत काफी कम हो गई है।
- उड़ान प्रचालन के सुचारु परिवर्तन के लिए सभी बेसों पर कॉकपिट क्रू का इष्टतम उपयोग।
- उड़ान संचालन और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एसओडी मूवमेंट की निगरानी। लागत बचत उपायों के रूप में यथासंभव 9I उड़ानों पर एसओडी की योजना बनाई गई है।
- बेस को स्वतंत्र बनाने के लिए कॉकपिट और केबिन क्रू की स्थायी पोस्टिंग ताकि होटल और एसओडी से बचा जा सके।
- एसओडी/परिवहन/हॉटैक/भोजन पर होने वाली लागत को कम करने के लिए वेबेक्स/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें/परामर्श/ब्रीफिंग/साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। यह समय बचाने का भी एक उपाय है.
- चार्टर संचालन के लिए मार्केटिंग/नेटवर्क प्लानिंग और अन्य संबंधित विभागों को हर समय पूर्ण समर्थन दिया जाता है। संगठन द्वारा किसी भी राजस्व सृजन अवसर को प्रोत्साहित किया जाता है।
- क्रू मूवमेंट, हॉटैक और यात्रा में लगने वाले समय से बचने के लिए एवीएसईसी प्रशिक्षण संबंधित बेस पर आयोजित किए जाते हैं।
- एयरलाइन टाइप रेटिंग प्रोग्राम (एटीआरपी): एलाइंस एअर ने जून 2019 में एटीआरपी की शुरुआत की और प्रति उम्मीदवार 25 लाख की दर से 09 पायलटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2.25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- अन्य एयरलाइन पायलटों और केबिन क्रू के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, इससे एलाइंस एअर को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में मदद मिल रही है। एएएएल प्रशिक्षकों का उपयोग अन्य संगठनों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है।
- कमांड अपग्रेड के दौर से गुजर रहे पायलटों से अपग्रेडेशन के बाद एयरलाइन को उनकी निरंतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक बांड लिया जा रहा है।

गोईंग कंर्सन

कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी के नाते एअर इंडिया के विनिवेश के बाद कंपनी को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 18 एटीआर 72–600 विमानों के अपने वर्तमान बेड़े में दो एटीआर 42–600 और एक डोर्नियर विमान को शामिल करके विमान बेड़े का विस्तार किया। 31 मार्च, 2023 तक कुल 21 विमानों का बेड़ा है। सभी विमान देश के छोटे/असेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों पर सेवा देने के लिए उपयुक्त हैं।

एलाइंस एअर को दूरदराज के क्षेत्रों में आरसीएस एवं वीजीएफ योजना के अन्तग विशेष रूप से उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्रों के लिए उड़ान भरने की चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हुए आबंटित मार्गों को संचालित करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार टायर 2 और टायर 3 शहरों को जोड़ने और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उड़ान योजना के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

कंपनी भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, कंपनी द्वारा कुल 127 उड़ान मार्ग जीते गए हैं। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक 101 मार्ग (पिछले वर्ष 81 मार्ग) पर संचालन किया।

इसके साथ–साथ, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 2023 के पत्र डीओ सं एवी.17046/72/2019–एआई, द्वारा स्पष्ट रूप से कहा कि एलाइंस एअर निरंतर आगे बढ़ रही है और आश्वासन दिया कि सरकार एलाइंस एअर को एटीएफ आपूर्ति के बकाये का भुगतान करने हेतु सभी प्रयास करेगी।

एलाइंस एअर को 20 अप्रैल, 2023 को वित्त मंत्रालय से 600 करोड़. रुपए की वित्तीय सहायता हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अनुमोदन के अनुसार, एलाइंस एअर को पहली किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिससे एलाइंस एअर की वित्तीय लागत कम हो जाएगी।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। कोविड–19 के पश्चात् एएएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी एक सकारात्मक रूझान दिखाता है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

चूंकि कंपनी को परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद ''गोईंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य नष्ट हो रहा है।"

जोखिम न्यूनीकरण नीति

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि हेतु वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी, चार्टरित लेखापाल, नई दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक–क

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

1. निगमित प्रशासन कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी अच्छे निगमित प्रशासन में दृढ़ता से विश्वास करती है और लगातार अभ्यास करती रही है। कंपनी की प्रतिष्ठा को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों द्वारा आकार दिया गया है। कंपनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगमित प्रशासन के संबंध में कंपनी का दर्शन अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रकटीकरण करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है।

2. निदेशक मंडल

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसके निदेशक भारत सरकार के परामर्श से होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम
1	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि.	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2	श्री असंगबा चूबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
3	श्री प्रांजोल चंद्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
4	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक

- एआईएएचएल के साथ–साथ एएएएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18–01–2023 को जारी का.ज्ञा. के अनुसरण में, श्रीमती उषा पाढी और श्री दीपक सजवान एएएएल के बोर्ड से पदमुक्त हुए और श्री असंगबा चुबा आओ और श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को 18–01–2023 से बोर्ड में नियुक्त किया गया। बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्रीमती उषा पाढी और श्री दीपक सजवान द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की गई।
- इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के अपने आदेश दिनांक 28–02–2023 के द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में महानिदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त की नियुक्ति के स्थान पर श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव को 01.03.2023 से तीन माह की अवधि के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) या सीएमडी, एआईएएचएल की नियमित नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

  उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, ना.वि.मं./एआईएएचएल के अगले आदेश तक आगे की बोर्ड और आम बैठकों के लिए 01–03–2023 से श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआईएएचएल को एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड में उनकी पदेन क्षमता में नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और

अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, श्री विक्रम देव दत्त, नामित निदेशक और अध्यक्ष 28–02–2023 से एएएएल के बोर्ड से पदमुक्त हुए। बोर्ड द्वारा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री विक्रम देव दत्त द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की गई।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की गई।

3. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली या होल्डिंग कंपनी के कार्यालय में विडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/वास्तविक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। बैठकें पहले से निर्धारित की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्तावों को सर्कुलेसन द्वारा पारित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की जाती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप में दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कंपनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है :

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की 6 बैठकें आयोजित की गईः

29 अप्रैल, 2022 (175वीं बैठक)

14 जुलाई, 2022 (176वीं बैठक)

16 सितम्बर, 2022 (177वीं बैठक)

11 अक्तूबर, 2022 (178वीं बैठक)

02 फरवरी, 2023 (179वीं बैठक)

17 मार्च, 2023 (180वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का उपस्थिति सहित विवरण।

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष (01.03.2023 से नियुक्ति)	एमटेक (एप्लाइड जियोलॉजी) एमए (सार्वजनिक नीति) आईआरएस (आईटी:1990)	6	1	जी हां

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष (27–01–2022 से नियुक्ति और 28–02–2023 से पदच्युत)	बीटेक एवं पीजीडीएम, आईएएस (यूटी:93)	6	5	जी हां
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (11–02–2022 से निदेशक पद पर नियुक्ति)	बी.ई. मैकेनिकल	6	6	जी हां
श्री दीपक सजवान उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (27–01–2021 से निदेशक के पद के रुप में नियुक्ति एवं 18–01–2023 से पदच्युत)	स्नातकोत्तर	6	1	जी नहीं
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (18–01–2023 से नियुक्ति)	स्नातकोत्तर	6	2	जी नहीं
श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (25–01–2022 से निदेशक के रुप में नियुक्ति एवं 18–01–2023 से पदच्युत)	इंजीनियरिंग (सिविल) में स्नातक, विश्वेशवराया तकनीकी विश्वविद्यालय, कनार्टक, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्टरेशन (एमपीए), बिरमघम विश्वविद्यालय, यू.के.	6	4	जी नहीं

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री असंगबा चूबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय (18–01–2023 से नियुक्ति)	एमए (इंजीनियरिंग लिट.), एवं एमए (लोक प्रशासन)	6	2	जी नहीं

बोर्ड समितियों के निदेशक और सदस्यता

कंपनी के निदेशकों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में निदेशक और सदस्यता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

निदेशकों के नाम	एएएएल के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2023 समितियों में सदस्यता
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष (01–03–2023 से नियुक्ति)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसैट्स होल्डिंग लि. 01–03–2023 से प्रभावी अध्यक्ष एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड 01–03–2023 से प्रभावी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. 01–03–2023 से प्रभावी होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. 01–03–2023 से प्रभावी निदेशक एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड 02–02–2017 से प्रभावी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. 02–02–2017 से प्रभावी एआई एसैट्स होल्डिंग लि. 22–01–2018 से प्रभावी	एएएएल अध्यक्ष एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति 01–03–2023 से प्रभावी सदस्य लेखा परीक्षा समिति 01–03–2023 से प्रभावी एआईएएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईईएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएएचएल अध्यक्ष नामित एवं पारिश्रमिक समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशकों के नाम	एएएएल के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2023 समितियों में सदस्यता
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड अध्यक्ष (27–01–2022 से नियुक्ति और 28–02–2023 से पदच्युत)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसैट्स होल्डिंग लि. 28–02–2023 तक अध्यक्ष एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) 28–02–2023 तक एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) 28–02–2023 तक होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) 28–02–2023 तक निदेशक पोर्टब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लि.	एएएएल अध्यक्ष एचआर समिति 28–02–2023 तक उड़ान संरक्षा समिति 28–02–2023 तक सदस्य लेखा परीक्षा समिति 28–02–2023 तक एआईएएसएल अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति 28–02–2023 तक सदस्य लेखा परीक्षा समिति 28–02–2023 तक एआईएएचएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति 28–02–2023 तक
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक 11–02–2022 से नियुक्ति)	निदेशक होटल कॉरेपोशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई)	एएएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री दीपक सजवान उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (27–01–2021 से निदेशक के पद पर नियुक्ति एवं 18–01–2023 से पदच्युत)	निदेशक होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) 14–12–2022 तक	एएएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति, 18–01–2023 तक एचआर समिति, 18–01–2023 तक उड़ान संरक्षा समिति, 18–01–2023 तक एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति, 14–12–2022 तक

निदेशकों के नाम	एएएएल के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2023 समितियों में सदस्यता
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (18–01–2023 से निदेशक के पद पर नियुक्ति)	निदेशक होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) 14–12–2022 से	एएएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति, 18–01–2023 से एचआर समिति, 18–01–2023 से उड़ान संरक्षा समिति, 18–01–2023 से एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति, 14–12–2022 तक
श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (25–01–2022 से निदेशक के पर पर नियुक्ति एवं 18–01–2023 से पदच्युत)	निदेशक रोहिणी हैलीपोर्ट लि. पवन हंस लि.	एएएएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति, 18–01–2023 तक सदस्य एचआर समिति, 18–01–2023 तक उड़ान संरक्षा समिति, 18–01–2023 तक पवन हंस लि. सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, 16–10–2022 तक
श्री असंगबा चूबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (18–01–2023 से नियुक्ति)	निदेशक रोहिणी हैलीपोर्ट लि. पवन हंस लि.	एएएएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति, 18–01–2023 से सदस्य एचआर समिति, 18–01–2023 से उड़ान संरक्षा समिति, 18–01–2023 से पवन हंस लि. सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

4. आचार संहिता

निगमित प्रशासन पर सीपीएसई के लिए जारी डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा, रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक 18.01.2023 और 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निदेशक मंडल के पुनर्गठन के कारण, क्रमशः 02 फरवरी 2023 और 17 मार्च 2023 को आयोजित 179वीं एवं 180वीं बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

श्री असंगबा चूबा आओ	अध्यक्ष
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य
श्री प्रांजोल चन्द्रा	सदस्य
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उपक्रमों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें आयोजित की गई।

29 अप्रैल, 2022 (26वीं बैठक)

14 जुलाई, 2022 (27वीं बैठक)

11 अक्तूबर, 2022 (28वीं बैठक)

02 फरवर्री, 2023 (29वीं बैठक)

17 मार्च, 2023 (30वीं बैठक)

लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्यों के नाम	बैठक में उपस्थिति की सं.
श्रीमती उषा पाढी	3
श्री असंगबा चूबा आओ	2
श्री विक्रम देव दत्त	3
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	1
श्री प्रांजोल चन्द्रा	5
श्री दीपक सजवान	1
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	2

- *श्री असंगबा चुबा आओ को 18 जनवरी, 2023 से श्रीमती उषा पाढी के स्थान पर लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।*
- *श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को 1 मार्च, 2023 से श्री विक्रम देव दत्त के स्थान पर लेखापरीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।*
- *श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को 18 जनवरी, 2023 से श्री दीपक सजवान के स्थान पर लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।*

6. पिछले तीन वर्षों की सामान्य बैठक

बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

वा.सा.बै./अ.सा.बै.	बैठक की तिथि एवं समय	स्थान
37वीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 दिसम्बर, 2020 को 1130 बजे	वीडियो कान्फ्रसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित
38वीं वार्षिक सामान्य बैठक	12 नवम्बर, 2021 को 1130 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
असाधारण सामान्य बैठक	27 जनवरी, 2022 को दोपहर 1200 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट,नई दिल्ली–110037
39वीं वार्षिक सामान्य बैठक	30 दिसम्बर, 2022 को 1100 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

7. प्रकटीकरण और सांविधिक अनुपालन

निदेशक के हित, संबंधित पार्टी लेनदेन, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं और समय–समय पर निदेशक मंडल के समक्ष निर्णय लेने के लिए रखे गए हैं, बोर्ड के साथ व्यवसाय को संभालने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल की स्पष्ट नीति और नामित अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ मायने रखता है। खुलासे, सूचना, आबंटन और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में फाइलिंग समयबद्ध तरीके से की गई है और कोई लंबित मामला नहीं है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–2023 दोनों के लिए डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आती है।

8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी घोषणाः

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था और इस रिपोर्ट का भाग है।

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.09.2023

(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष

आचार संहिता

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता./–
(विनीत सूद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 सितम्बर, 2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

हम, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विनीत सूद, और मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंबर कुमार मंडल, (इसके बाद ''कंपनी'') एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :–

1. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की है और यह हमारी जानकारी और मत के अनुसार हैं :–

क) इन कथन में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य तथ्य शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

ख) यह कथन कंपनी के मामलों की स्थिति और प्रचालन और नकदी प्रवाह के परिणामों का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। वित्तीय विवरणी, लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों सहित मौजूदा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, सभी भौतिक मामलों में अनुरूपता में तैयार किए गए हैं।

2. हमारी जानकारी और मत के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जो धोखाधडी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा फंक्शन द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ काम करता है, और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट करता है।

महत्वपूर्ण कमियों और महत्वपूर्ण कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को अवगत कराया जाता है।

4. हम लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित करते हैं:–

क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

5. हम आगे घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की ओर से

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैनः AVYPS1251Q

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः AEGPM0223D

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

वर्ष 2022–23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक रिटर्न से उद्धरण

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष

का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1	सीआईएन	यू51101डीएल1983जीओआई016518
2	पंजीकरण की तारीख	13/09/1983
3	कंपनी का नाम	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	'एलाइंस भवन' अंतर्देशीय टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल–1, नई दिल्ली–110037
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं
7	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई–400083 +912249186000

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना।	511	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक/संबंद्ध	शेयरों का %	लागू धारा
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, दूसरी मंजिल, एयर इंडिया आरक्षण बिल्डिंग, सफरदजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110 003.	यू74999 डीएल 2018 जीओआई 328865	होल्डिंग	100%	2(46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा):

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	वर्ष के दौरान	कुल शेयरों का%	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का%	
क. प्रवर्तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) वैयक्तिक / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय*	40,225,000	0	40,225,000	100	40,225,000	0	40,225,000	100	0.00
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) म्युचुअल फंड / यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख)(1):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय–गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) हिंदू अविभाजित परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	**-**

** बॉडी कॉर्पोरेट नामिती के माध्यम से 100% शेयर होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है।*

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	अपने नामितियों सहित एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	40,225,000	100	शून्य	40,225,000	100	शून्य	-

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के परिणामस्वरूप, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड में एयर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण शेयरधारिता को 25.01.2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**वर्ष के आरंभ में**				
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100
	वर्ष के अंत में				
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा): लागू नहीं

क्र. सं.	पहले 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	शून्य	-	-	-	-
	(नोटः इक्विटी शेयर केवल एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के नामितियों के पास हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				

(करोड़ रुपए में)

V. ऋणग्रस्तता–ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता (चालू वर्ष)	कुल ऋणग्रस्तता (पिछले वर्ष)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-	-
i) मूल राशि	-	24,31,18,30,288.20	-	24,31,18,30,288.20	20,65,72,26,817.88
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-	-	-	-

विवरण	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता (चालू वर्ष)	कुल ऋणग्रस्तता (पिछले वर्ष)
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**24,31,18,30,288.20**	**-**	24,31,18,30,288.20	**20,65,72,26,817.88**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-	-
*जोड़	-	2,39,94,45,293.32	-	2,39,94,45,293.32	3,66,34,66,161.32
*कमी	-	-	-	-	
निवल परिवर्तन	**-**	**2,39,94,45,293.32**	-	2,39,94,45,293.32	**3,66,34,66,161.32**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-	-
i) मूल राशि	-	24,55,67,88,897.51	-	24,55,67,88,897.51	22,48,34,91,016.97
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	2,15,44,86,684.00	-	2,15,44,86,684.00	1,83,72,01,962.22
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**26,71,12,75,581.51**	**-**	**26,71,12,75,581.51**	**24,32,06,92,979.19**

** चालू वर्ष के लिए ऋणग्रस्तता में 2,15,29,98,527.00 रुपए की राशि का प्रावधान शामिल है।*

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(राशि रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन	-	-	-	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-	-	-

** वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी में सीईओ के अलावा कोई प्रबंधकीय, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं। केएमपी के तहत सीईओ का विवरण प्रदान किया गया है।*

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1+2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
		श्री विनीत सूद	श्रीमती शिल्पा भाटिया	श्री अम्बर कुमार मंडल	
1	सकल वेतन	40,13,750	7,94,851	17,91,250	**65,99,851**
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-
	कुल	**40,13,750**	**7,94,851**	**17,91,250**	**65,99,851**

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए कंपाउंडिंग जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी	**शून्य**				
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक	**शून्य**				
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी	**शून्य**				
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 सितम्बर, 2023

वर्ष 2022–23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

फॉर्म संख्या एओसी–2 (अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कतिपय आर्म लैंथ संव्यवहार शामिल हैं।

1. संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित व्यवस्था या संव्यवहार, नहीं किए गए हैं, जो कि आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं।

2. आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के अधीन कम्पनी द्वारा किए गए सभी संबंधित अनुबंध/व्यवस्था/संव्यवहार, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे। जिन्हें दिनांक 14 जुलाई, 2022 को कंपनी द्वारा आयोजित 176वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	लेन–देन की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि करोड़ रु. में
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) (होल्डिंग कंपनी)	**व्यय**			
	1.स्थान शुल्क	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023	व्यय	0.20
	2. ब्याज			215.44
	कुल			**215.64**
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय** 1. मरम्मत अन्य 2. मानव शक्ति 3. प्रशिक्षण 4. ब्याज	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023	व्यय	 55.95 2.68 0.02 17.28
	कुल			**75.93**
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय** 1. हैंडलिंग प्रभार 2. ब्याज	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023	व्यय	 28.20 9.45
	कुल			**37.65**
	आय		आय	
	एएएएल द्वारा लगाए गए एसओडी, लोगो एवं जुर्माना			0.42
	कुल			**0.42**

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	लेन–देन की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि करोड़ रु. में
भारतीय होटल निगम (एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	व्यय	0.16
	होटल आवास			
	कुल			**0.16**
	आय		आय	
	लोगो का उपयोग			0.14
	कुल			**0.14**

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 सितम्बर, 2023

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

हम **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला।

कम्पनी की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी में, एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है:–

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध करवाए गए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमः

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम–**लागू नहीं**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार –**लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः –**लागू नहीं**

  (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

  (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

  (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी मदें) विनियम, 2018

  (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

  (ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूति को जारी और सूचीकरण करना) विनियम, 2021

  (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यापार।

  (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2021

  (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुर्नखरीद) विनियम, 2018

(vi) अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग के लिए लागू) के तहत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है।

(क) एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ख) कैरिज बाई एक्ट, 1972 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994

(घ) एयरक्राफ्ट (खतरनाक माल की ढुलाई) नियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम

(ड.) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

(च) टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975

(छ) एयरक्राफ्ट (सुरक्षा) एक्ट 2011

(ज) अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन

(झ) पर्यावरण संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम।

(ट) एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982/1994

(ठ) सुप्ररेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982

(ड) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 :–

(ढ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(ण) उपदान अधिनियम और नियम, 1972

(त) अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

(थ) बोनस अधिनियम, 1965

(द) मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान

(ध) रोजगार कार्यालय अधिनियम

(न) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(प) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015–**लागू नहीं।**

(iii) सीपीएसई के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश।

निम्नलिखित टिप्पणियों के अन्तर्गत, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा के तहत वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानको आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

''कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(क) का अनुपालन न करना–कंपनी के पास 18 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।''

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट विधिवत रुप से सात दिन पहले अग्रिम भेजे गए और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।

असहमत सदस्यों के विचारों को बहुमत के निर्णय के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और यदि कोई हो तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्य नहीं थे।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट**
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 2725/2022

हस्ता./–
सीएस अंजली
पार्टनर
एसीएस नं.: 65330
सीपी नं.: 26496

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22 सितम्बर, 2023
यूडीआईएनः A065330E001056155

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **''अनुलग्नक क''** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

मेरी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा व निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय का उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/ अवलोकन/कमियों को शामिल नहीं कर रही है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद है या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट**
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 2725/2022

हस्ता./–
सीएस अंजली
पार्टनर
एसीएस नं.: 65330
सीपी नं.: 26496

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22 सितम्बर, 2023

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 14 जून, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** की वर्ष 31 मार्च, 2023 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है।

मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पूरक पर प्रकाश डालने की आवश्यकता होगी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के साथ वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2023 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की ***''वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों''*** में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार परपर्याप्त और उपयुक्त है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय सहित इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की

जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं।

अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से सम्पर्क करते हैं।

हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।

मामले का महत्व

निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

नोट सं. 40 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोईंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट की सूचना शामिल है लेकिन इसमें इंडएएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है।

'अन्य रिपोर्ट' पढ़ते समय, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और **अनुलग्नक ''ख'',** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3.(क) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

(ग) कंपनी का कोई भी शाखा कार्यालय नहीं है जो बही खातों का रखरखाव करता है इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।

(घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(ड.) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

(च) हमें वित्तीय लेनदेन या कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी मामले पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2023 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ज) हमारे पास बही खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(झ) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्नक ''ग''** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(ट) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2023 तक लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

ख. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो इसलिए कंपनी ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

ग. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

घ. (i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस शपथ के साथ, लिखित रूप में रिकार्ड की गई या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (''मध्यस्थ'') को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप में) के रूप में प्रदान नहीं की गई है कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिह्न्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना।

(ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, चाहे लिखित रूप में लेखांकित या अन्यथा, इस संज्ञान के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (''अंतिम लाभार्थी'')
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना; तथा

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (घ) (i) और (घ) (ii) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

ड. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है; इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।

च. लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खातों को कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो कि कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के खातों पर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में।

कंपनी अधिनियम, 2013 (''कंपनी अधिनियम'') की धारा 143(11) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) पर रिपोर्ट

(i)(क)(क) कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और आरओयू परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करती है। कंपनी की नीति के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर वास्तविक सत्यापन किया गया था, जहां कुछ विसंगतियां पाई गईं, उन्हें कंपनी के पूर्व वर्ष के लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान नहीं किया गया है। साल। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ड.) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दरसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया द्विवार्षिक आधार पर निष्पादित की जाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में दरसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया, जिसमें 52.22 मिलियन रुपये की कमी और 5.22 मिलियन रुपये का अतिरेक पाया गया था। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लंबित होने के कारण, पूर्व वर्ष में उक्त कमियों के लिए 15.86 मिलियन रुपए के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त 31.13 मिलियन रूपए का निवल प्रावधान किया गया है।

पूर्व वर्ष के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट में हुई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वित्तीय विवरणों में अभी भी मौजूद हैं। (नोट संख्या 30 (ख) देखें जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।)

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) (क) लेखा बहियों की हमारी जांच तथा कंपनी के रिकार्डों के आधार पर हमने अवलोकन किया है कि कंपनी ने टीडीएस को छोड़कर, माल और सेवाकर, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकरणों के पास अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं की राशि को नियमित रूप से जमा कराया है।

स्रोत पर कर कटौती को नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है । 31 मार्च 2023 तक विभिन्न धाराओं के तहत जुलाई से सितंबर, 2022 महीने तक, स्रोत पर 136.39 मिलियन रुपये की कर कटौती राशि 6 महीने से अधिक समय से बकाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर विवाद के कारण कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं है :

अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लम्बित है।	राशि से संबंधित अवधि	राशि (मिलियन रु. में)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आईटीएटी, नई दिल्ली	मूल्यांकन वर्ष 2000–2001	22.57
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आईटीएटी, नई दिल्ली	मूल्यांकन वर्ष 2004–2005	28.04

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकिन न किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी की बहियों में, दिनांक 31 मार्च 2023 को, होल्डिंग कंपनी (मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) से अल्पकालिक उधार के रूप में 23738.78 मिलियन रुपये की राशि दर्शाई गई है। होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने औसत बकाया राशि पर परिकलित प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज लेने का निर्णय लिया है।

562.5 मिलियन रुपये की एक अन्य राशि भी अल्पकालिक ऋण के रूप में प्रदर्शित की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान एआईएएचएलके बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार यह राशि, एआईएएचएल से प्राप्त हुई है, जिस पर 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान एआईएएचएल से 257 मिलियन रुपये की अन्य राशि प्राप्त हुई है, जिस पर एआईएएचएल द्वारा 9% की दर से ब्याज लगाया गया है। पुनर्भुगतान नियम और शर्तों के लंबित होने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेखांकित किया गया है।

चूँकि, दोनों ऋणों के लिए पुनर्भुगतान का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में इस खंड पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों की पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के खातों की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच, और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियां में धारित प्रतिभूतियों को गिर्वी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xi)(च) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x) (क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) (ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनें, जहां लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 और 188 के अनुपालन में किए गए है, और प्रचलित भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित, संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएं लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय	(5665.73)	(4477.63)
जोड़: गैर–नकद व्यय		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन:	2617.77	2410.11
विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ/हानि:	(285.88)	(174.36)
वर्ष के दौरान नकद हानि	**(3333.84)**	**(2241.88)**

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, आयु अवधि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, भारत सरकार द्वारा समर्थित निदेशक मंडल और प्रबंधन संबंधी हमारे ज्ञान, का अनुमानों के निर्धारण हेतु सहायक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो कि तुलन पत्र की तारीख को कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे पता चले कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी आने वाली अपनी देयाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी लभप्रदत्ता को कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब कभी वे देय होंगी।

(xx) (क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी द्वारा लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणों के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसोधित करने की प्रणाली है। एलाइंस एअर ने 15 अप्रैल 2022 से नई पीएसएस प्रणाली का संचालन किया है और पीएसएस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली दैनिक लेनदेन रिपोर्ट को प्रवाहित पीएनआर डेटा के साथ सत्यापित किया जा रहा है। तथापि कंपनी पीएसएस प्रणाली के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	कोई नहीं
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइटऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	कोई नहीं

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा खाता–बहियों में समुचित रूप से रखा गया है।	कोई नहीं

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी के यू/एस 143(5) के निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ***एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड*** (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) के खातों का ऑडिट किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ग''

एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 3 (च) में संदर्भित

कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

मत

हमने 31 मार्च, 2023 के **एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'')** के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

हमारे मतानुसार, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी वास्तविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइटेंस नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है दोनों भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–:

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।

2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय

विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट **मत** हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के साथ वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है। हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2023 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।	
मत का आधार हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की ***''वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों''*** में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय सहित इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।	
वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो। कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।	
इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः • वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।	
• लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना। • प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिशिचितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति मेंहमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं। अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं। हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।	
मामले का महत्व **निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:** नोट सं. 40 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोईंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।	
इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट की सूचना शामिल है लेकिन इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
'अन्य रिपोर्ट' पढ़ते समय, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।	
अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट 1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।	
2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और ''**अनुलग्नक ''ख'',** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।	
3. (क) अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि : (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारीलेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों। (ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है। (ग) कंपनी का कोई भी शाखा कार्यालय नहीं है जो बही खातों का रखरखाव करता है इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।	
(घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं। (ड.) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है। (च) हमें वित्तीय लेनदेन या कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी मामले पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(छ) 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2023 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। (ज) हमारे पास बही खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। (झ) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें। (ट) कंपनी अधिनियम 2013 कीअनुसूची V के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	
(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2023 तक लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 29 का संदर्भ लें। ख. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो इसलिए कंपनी ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। ग. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।	
(i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस शपथ के साथ, लिखित रूप में रिकार्ड की गई या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (''मध्यस्थ'') को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप में) के रूप में प्रदान नहीं की गई है कि मध्यस्थः	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
• कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश या • अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना। (ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, चाहे लिखित रूप में लेखांकित या अन्यथा, इस संज्ञान के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, कि कंपनीः • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (''अंतिम लाभार्थी'') • अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना; तथा (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (घ)(i) और (घ) (ii) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है। ड. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है; इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है। च. लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खातों को कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो कि कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क'' पर प्रबंधन के उत्तर

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष केलिए कम्पनी के खातों पर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में।

कंपनी अधिनियम, 2013 (''कंपनी अधिनियम'') की धारा 143(11) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(क) **(क)** कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और आरओयू परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखे हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	यह कथन सही है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करती है। कंपनी की नीति के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर वास्तविक सत्यापन किया गया था, जहां कुछ विसंगतियां पाई गईं, उन्हें कंपनी के पूर्व वर्ष के लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (क) में दिए गए हैं।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान नहीं किया गया है। साल। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ड.) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दरसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया द्विवार्षिक आधार पर निष्पादित की जाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में दरसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया, जिसमें 52.22 मिलियन रुपये की कमी और 5.22 मिलियन रुपये का अतिरेक पाया गया था। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लंबित होने के कारण, पूर्व वर्ष में उक्त कमियों के लिए 15.86 मिलियन रुपए के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त 31.13 मिलियन रुपए का निवल प्रावधान किया गया है।	
पूर्व वर्ष के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट में हुई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वित्तीय विवरणों में अभी भी मौजूद हैं। (नोट संख्या 30(ख) देखें जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।)	यह कथन सही है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(v) अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षा अवलोकन</th><th>प्रबंध मण्डल के उत्तर</th></tr>
<tr><td>(vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(vii) (क) लेखा बहियों की हमारी जांच तथा कंपनी के रिकार्डों के आधार पर हमने अवलोकन किया है कि कंपनी ने टीडीएस को छोड़कर, माल और सेवाकर, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकरणों के पास अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं की राशि को नियमित रूप से जमा कराया है।

स्रोत पर कर कटौती को नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 तक विभिन्न धाराओं के तहत जुलाई से सितंबर, 2022 महीने तक, स्रोत पर 136.39 मिलियन रुपये की कर कटौती राशि 6 महीने से अधिक समय से बकाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर विवाद के कारण कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं है :</td><td>यह कथन सही है।

यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<table>
<tr><th>अध्यादेश का नाम</th><th>बकाया की प्रकृति</th><th>फोरम जहां विवाद लम्बित है।</th><th>राशि से संबंधित अवधि</th><th>राशि (मिलियन रु. में)</th></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर</td><td>आईटीएटी, नई दिल्ली</td><td>मूल्यांकन वर्ष 2000–2001</td><td>22.57</td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर</td><td>आईटीएटी, नई दिल्ली</td><td>मूल्यांकन वर्ष 2004–2005</td><td>28.04</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकिन न किया गया हो।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(ix) (क) कंपनी की बहियों में, दिनांक 31 मार्च 2023 को, होल्डिंग कंपनी (मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) से अल्पकालिक उधार के रूप में 23,738.78 मिलियन रुपये की राशि दर्शाई गई है। होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने औसत बकाया राशि पर परिकलित प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज लेने का निर्णय लिया है।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
562.5 मिलियन रुपये की एक अन्य राशि भी अल्पकालिक ऋण के रूप में प्रदर्शित की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार यह राशि, एआईएएचएल से प्राप्त हुई है, जिस पर 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान एआईएएचएल से 257 मिलियन रुपये की अन्य राशि प्राप्त हुई है, जिस पर एआईएएचएल द्वारा 9% की दर से ब्याज लगाया गया है। पुनर्भुगतान नियम और शर्तों के लंबित होने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेखांकित किया गया है। चूँकि, दोनों ऋणों के लिए पुनर्भुगतान का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में इस खंड पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों की पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	यह कथन सही है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के खातों की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच, और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियां में धारित प्रतिभूतियों को गिर्वी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xi)(च) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंषिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नही की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ग) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनें, जहां लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 और 188 के अनुपालन में किए गए है, और प्रचलित भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित, संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	यह कथन सही है। समुचित प्रकटन नोट सं. 35 में दिए गए हैं।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(xiv) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है। (ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।	यह कथन सही है।
(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवष्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेष के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड की 3(xvi)(घ) आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।	यह कथन सही है।
(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:	यह कथन सही है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय	(5665.73)	(4477.63)
जोड़: गैर–नकद व्यय		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन:	2617.77	2410.11
विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ/हानि:	(285.88)	(174.36)
वर्ष के दौरान नकद हानि	**(3333.84)**	**(2241.88)**

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेष का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, आयु अवधि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, भारत सरकार द्वारा समर्थित निदेशक मंडल और प्रबंधन संबंधी हमारे ज्ञान, का अनुमानों के निर्धारण हेतु सहायक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो कि तुलन पत्र की तारीख को कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे पता चले कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी आने वाली अपनी देयाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी लभप्रदत्ता को कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब कभी वे देय होंगी।	यह कथन सही है। कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है, कंपनी को अपना प्रचालन जारी रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, जिसके लिए एलाइंस एअर को वित्त मंत्रालय ने पहले ही 600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।
(xx)(क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी द्वारा लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' पर प्रबंधन के उत्तर

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणीयों के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लि.** के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव	प्रबंध मण्डल के उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। एलाइंस एअर ने 15 अप्रैल 2022 से नई पीएसएस प्रणाली का संचालन किया है और पीएसएस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली दैनिक लेनदेन रिपोर्ट को प्रवाहित पीएनआर डेटा के साथ सत्यापित किया जा रहा है। तथापि कंपनी पीएसएस प्रणाली के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइटऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदिएक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव	प्रबंध मण्डल के उत्तर
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा खाता बहियों में समुचित रूप से रखा गया है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर प्रबंधन के उत्तर

एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 3 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग''

कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
मत हमने 31 मार्च, 2023 के **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है। हमारे मतानुसार, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में षामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।	यह कथन सही है।
लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर,कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणीके संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइटेंस नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकोंके अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की हैदोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं।हमें नैतिक आवश्यकताओं के	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणीके संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	
वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयारवित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–:	
1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।	यह कथन सही है।
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।	यह कथन सही है।
3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल के उत्तर
वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।	

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
	परिसम्पत्तिया			
	गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
1 क)	सम्पत्ति, संयत्रं और उपस्कर	2(क)	365.86	207.80
ख)	राइट ऑफ यूज़ परिसम्पत्तियां	2(ख)	20,171.06	19,673.86
ग)	अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	2(ग)	82.00	25.80
घ)	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	i) व्यापार प्राप्य		-	-
	ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3	1,038.80	847.65
ड)	आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	4	612.79	387.72
च)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		-	-
छ)	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	5	6,105.19	4,434.94
2	**चालू परिसम्पत्तियां**			
क)	इनवेटंरी	6	341.43	284.68
ख)	वित्तीय परिसम्पत्तियां		-	-
	i) व्यापार प्राप्य	7	1,007.45	805.13
	ii) नकद और नकद समकक्ष	8	149.54	145.04
	iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा	9	801.31	867.90
	iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10	76.32	108.90
iii)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	506.28	260.93
	कुल परिसम्पत्तियां		**31,258.02**	**28,050.35**
	इक्विटी और देयताएं			
1	**इक्विटी**			
क)	इक्विटी शेयर पूंजी	12	4,022.50	4,022.50
ख)	अन्य इक्विटी	13	(40,665.74)	(35,008.02)
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर चालू देयताएं**			
क)	वित्तीय देयताएं			
	i) उधार		-	-
	i क) लीज़ देयताएं	14	21,383.58	19,856.31
	ii) व्यापार देयताएं			
	क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय; और		-	
	ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		-	
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं			
	ख) प्रावधान	15	793.90	677.33
	ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
	घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-	-
	ii) **चालू देयताएं**			
	क) वित्तीय देयताएं			
	i) उधार	16	24,558.28	23,907.78
	i क) लीज़ देयताएं	17	3,252.68	2,608.93
	ii) व्यापार देयताएं	18	-	-
	क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय; और		-	2.41
	ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		16,445.69	11,100.56
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	415.11	545.83
	ख) प्रावधान	20	5.21	4.34
	ग) अन्य चालू देयताएं	21	1,046.81	332.38
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**31,258.02**	**28,050.35**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता/–
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणी

	विवरण	नोट सं.	अप्रैल, 22 से मार्च, 23 तक की अवधि की राशि	अप्रैल, 21 से मार्च, 22 तक की अवधि की राशि
			(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
I.	**राजस्व**			
1	प्रचालन से	22		
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		6,541.43	4,283.90
	ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं		3,759.07	2,862.82
	iii) अन्य प्रचालन राजस्व		683.68	28.57
2	अन्य आय	23	65.41	65.81
II	**कुल राजस्व (1+2)**		**11,049.59**	**7,241.10**
III	**व्यय**			
	विमान ईंधन एवं तेल		3,681.34	1,697.29
	अन्य प्रचालन व्यय	24	3,742.54	3,037.01
	स्टाक इन ट्रेड की खरीद		-	-
	तैयार माल की इनवेंटरी में, कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	1,525.39	1,262.41
	वित्तीय लागत	26	4,988.07	3,172.19
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2(क से ग)	2,617.77	2,410.11
	अन्य व्यय	27	160.21	126.42
IV	**कुल व्यय**		**16,715.32**	**11,705.43**
V	**असाधारण मदों पूर्व लाभ/(हानि) और कर (II-IV)**		**(5,665.73)**	**(4,464.33)**
VI	**असाधारण मदें**			
VII	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(5,665.73)**	**(4,464.33)**
VIII	**कर व्ययः**			
1	चालू कर		-	-
2	पूर्व वर्ष में आयकर		-	13.30
3	आस्थगित कर		-	-
IX	**वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(5,665.73)**	**(4,477.63)**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क. मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	–पारिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन		**8.01**	**3.71**
	–आयकर संबंधी मदों का लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
XI	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ/(हानि)) और अन्य व्यापक आय शामिल है।		**(5,657.72)**	**(4,473.92)**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय (रु. में)	28		
	(1) मूल		(140.85)	(111.31)
	(2) डायल्यूटिड		(140.85)	(111.31)

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता/–
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

क) इक्विटी शेयर पूंजी **(मिलियन रु. में)**

01.04.2023 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**01.04.2023 को पुनः घोषित शेष**	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को शेष
4,022.50	-	4,022.50	-	4,022.50

01.04.2022 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**01.04.2022 को पुनः घोषित शेष**	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को शेष
4,022.50	-	4,022.50	-	4,022.50

ख)(1.) अन्य इक्विटी (चालू वर्ष) **(मिलियन रु. में)**

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2022 को शेष	(35,016.89)	8.88	(35,008.02)
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	(5,665.73)	-	(5,665.73)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	8.01	8.01
कुल व्यापक आय	**(40,682.62)**	**16.89**	**(40,665.74)**
31.03.2023 को शेष	**(40,682.64)**	**16.88**	**(40,665.74)**

(मिलियन रु. में)

ख)(2.) अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2021 को शेष	(30,539.27)	5.16	(30,534.10)
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	(4,477.63)	-	(4,477.63)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	3.71	3.71
कुल व्यापक आय	**(35,016.89)**	**8.87**	**(35,008.02)**
31.03.2022 को शेष	**(35,016.89)**	**8.88**	**(35,008.02)**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता/–
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

	विवरण	(मिलियन रु. में) 2022–2023		(मिलियन रु. में) 2021–2022	
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ–हानि विवरणी के अनुसार कर से पूर्व निवल लाभ और हानि		**(5,665.73)**		**(4,464.33)**
	जमा/(घटा) – गैर प्रचालन के लिए समायोजन व्यय/आय और गैर नगद मदें				
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2,617.77		2,410.11	
	प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	(20.19)		(0.16)	
	इंड एएस 116 के अनुसार ब्याज वित्तीय लागत व लीज़ पर विनिमय अंतर	2,173.46		820.48	
	ब्याज और वित्तीय लागत	12.92		21.52	
	जमा पर ब्याज आय	(45.22)		(42.04)	
	आयकर के लिए प्रावधान	-		-	
	अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानि	(285.88)		(174.36)	
	बट्टे खाते वसूली	-		(1.19)	
	परिसम्पत्ति के निपटान पर हानि/लाभ	-		0.01	
	आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	-		(23.61)	
	हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	66.47		34.83	
			4,519.33		**3,045.59**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)		**(1,146.40)**		**(1,418.74)**
	प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
	अन्य बैंक शेष	66.59		46.14	
	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	(1,670.25)		(851.08)	
	इनवेंटरी	(123.22)		(27.97)	
	व्यापार प्राप्य	(202.32)		(167.33)	
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	32.58		7.87	
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां गैर चालू	(191.15)		(688.10)	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(245.34)		6.26	
			(2,333.11)		**(1,674.21)**
	प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन				
	व्यापार देय	5,648.79		2,135.32	
	अन्य चालू देयताएं	714.44		144.81	
	लघु अवधि ऋण	650.50		3,251.61	
	लघु अवधि प्रावधान	0.87		0.52	
	अन्य वित्तीय देयताएं	(130.72)		84.26	
	दीर्घावधि प्रावधान	14.90		12.16	
			6,898.78		**5,628.68**
	प्रचालन से प्राप्त नकद		**3,419.27**		**2,535.74**
	घटाकरः टीडीएस सहित/(रिफंडेड) अदा किया गया आयकर		(225.07)		120.63
	प्रचालन गतिविधियों (क) से निवल नकद		**3,194.20**		**2,656.37**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
क)	स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	(260.64)		(35.59)	
ख)	जमा पर ब्याज आय	45.22		42.04	
ग)	स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	-		**0.19**	**-**
	निवेश गतिविधियों (ख) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**(215.42)**		**6.64**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
क)	चालू देयता का इक्विटी में रुपांतरण				
ख)	लीज़ भुगतान	(2,961.35)		(2,533.31)	
ग)	ब्याज भुगतान	(12.92)	**(2,974.27)**	**(21.52)**	**(2,554.83)**
	वित्तीय गतिविधियों (ग) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**-**		**-**

	विवरण	(मिलियन रु. में) 2022–2023		(मिलियन रु. में) 2021–2022	
(घ)	**नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि / (हानि) (क+ख +ग)**		**4.51**		**108.17**
(ड़)	**वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष**		**145.04**		**36.87**
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**149.55**		**145.04**

टिप्पणीः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंडएएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।
पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत / पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

विवरण	(मिलियन रु. में) 2022–2023	(मिलियन रु. में) 2021–2022
नगद और नगर समकक्ष		
बैंक में शेष		
चालू खाते में	149.53	145.04
हाथ में रोकड़	0.02	-
अंत शेष	**149.55**	**145.04**

टिप्पणीः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंड एएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई हैं

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में
उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता / –
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता / –
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता / –
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता / –
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता / –
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता / –
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के इंड एएस वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

नोट सं. 1 महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश

इस नोट में, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची दी गई है। यह नीतियां प्रस्तुत सभी वर्षों में निरन्तर लागू की गई है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो लेखों के सभी आकड़े रुपए मिलियन में हैं।

1. कंपनी सूचना/ओवरव्यू

पृष्ठभूमि:

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) कंपनी अधिनियम, 1956 अब पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार की कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती है। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 21 विमान जिसमें 18 एटीआर 72–600, दो एटीआर–42 विमान और एक डोर्नियर विमान है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037 पर स्थित है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय विवरणियों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिनांक 14 जून, 2023 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(i) अनुपालन संबंधी कथन

वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रस्तुति आवश्यकताओं, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणियों गोईंग कंर्सन आधार पर लेखांकन की अक्रूअल प्रणाली आधार पर तैयार की जाती है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरणियों को दिनांक 14 जून, 2023 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

(ii) मापन के आधार

निम्नलिखित परिसंपत्तियों तथा देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर आंका गया है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं :

- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय प्रलेखों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।
- कर्मचारी लाभ दायित्व (लेखाकंन नीति के संदर्भ में नोट 36 का संदर्भ लें)।

ऐतिहासिक लागत भुगतान हेतु नकद या नकद समकक्ष राशि या उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दी गई राशि का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त

आय की राशि, या अपेक्षित नकद या नकद समकक्ष की वह मात्रा है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य वह है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने हेतु माप तिथि पर भुगतान की जाएगी।

(iii) हाल की घोषणाएं

निगमित कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने 1 अप्रैल, 2023 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2015 में संशोधन किया है:

- इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति

  संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। लेखांकन नीति की जानकारी, अन्य जानकारी के साथ, तब महत्वपूर्ण होती है, जब युक्तिसंगत रूप में यह संभावना हो कि उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इन संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- इंड एएस 12 – आयकर

  संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार कंपनियां, लीज़ और और डीकमीशनिंग दायित्वों जैसे लेनदेन पर आस्थगित कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। संशोधनों ने, इंड एएस 12 (मान्यता छूट) के पैराग्राफ 15 और 24 में मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को उत्पन्न करते हैं। कंपनी, अपने वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन कर रही है।

- इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

  इन संशोधनों से, संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को, लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है। नई परिभाषा के तहत, लेखांकन अनुमान ''वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं, जो मापन अनिश्चितता के अध्याधीन हैं''। यदि लेखांकन नीतियों के लिए वित्तीय विवरणों में मदों को इस तरह से मापने की आवश्यकता होती है, जिसमें मापन अनिश्चितता शामिल हो तो, संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करती हैं। कंपनी को, इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना नहीं है।

(iv) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग ने निर्णय, आंकलन तथा पूर्वानुमान का उपयोग किया है जिससे लेखांकन नीतियां तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियां प्रभावित हुईं हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आंकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो लेखांकन आंकलनों में संशोधन को प्रत्याशित रूप से मान्य किया जाता है।

आंकलनों तथा निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लेखानुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है :

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के उपयोगी अवधि तथा शेष मूल्य का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीबद्ध किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन।

ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार।

घ) विक्रय के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

ड.) पुनः डिलीवरी की लागत का आंकलन।

च) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान व वसूली की संभावना के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता।

छ) परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान एवं मापन।

ज) लीज़ वर्गीकरण निश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्णय।

झ) उचित मूल्यों तथा प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ट) कराधान विवादों तथा कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का आउटफलो अपेक्षित होगा, इसकी संभावना निश्चित करने के लिए निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

ठ) वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन।

3. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों पर समान रूप से लागू की गई है।

I. प्रचालन चक्र तथा चालू व गैर चालू वर्गीकरण

चालू –गैर चालू वर्गीकरण

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों व देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कंपनी का कोई विशेष प्रचालन चक्र नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को ''प्रचालन साइकल'' के रूप में अपनाया गया है।

II संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. प्रारंभिक पहचान व मापन

क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की कीमत को परिसम्पत्ति के रुप में मान्य किया जाता है, यदि

(i) संभावना है कि, भविष्य में मद से संबंधित आर्थिक लागत ईकाई को प्राप्त हों, व

(ii) मद की लागत विश्वसनीय रुप से मापी जा सके।

ख) परिसम्पत्ति के रुप में मान्यता हेतु योग्य होने के लिए सम्पत्ति, संयत्र, संरचना व उपकरण की मद को लागत पर मापना होगा।

सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(i) व्यापार छूट व रिबेट घटाने के बाद, आयात शुल्क व गैर–धन वापसी योग्य क्रय कर सहित, उसका क्रय मूल्य;

(ii) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण व उसे लोकेशन तक लाने में लगी अनुशंगिक लागत व प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत प्रकार के प्रचालन करने में आवश्यक रुप से सक्षम होना और जहां लागू हो, लिए गए ऋण पर ब्याज, व इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु संबंधित परिसम्पत्ति को कार्य करने लायक स्थिति तक लाने की तिथि तक।

ग) यदि किसी सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मदों के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी अवधि भिन्न–भिन्न है, तो उनकी गणना अलग सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण के अलग घटक के रुप में की जाती है।

ख. आगामी मान्यता व मापन

आगामी लागत, परिसम्पत्ति की कैरिंग राशि में शामिल होती है या अलग परिसम्पत्ति के रुप में मान्य की जाती है, जैसा समुचित हो, जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में व्यय से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे व मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप से किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत व अनुरक्षण को खर्च किए जाने के समय लाभ व हानि विवरणियों में प्रकाशित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा इंड एएस 16 ''सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसार कॉस्ट मॉडल अपनाया गया है व संपत्ति, संयत्र व उपकरण का मापन लागत आधार पर, संचित मूल्यह्यस व संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

ग. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के जीवन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **रोटेबल्स :**

विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2. **स्थल सहायता उपस्कर (जीएसई):**

लीज़ पर लिए गए एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख अनुसूची ओवरहॉल लागतों को अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

घ) आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा पर, लगाई गई लागत को उपयोगी जीवन पर मूल्यह्यसित किया जाता है।

च) अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रोराटा आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास को निम्न उपयोगी जीवन आधार पर प्रभारित किया गया है।

परिसम्पत्तियों का विवरण	**उपयोगी जीवन**
संयत्र व उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
डाटा प्रोसिंग उपकरण	3 वर्ष
स्थल सहायता उपकरण (एटीआर)	उपरोक्त पॉलिसी II ग ख (2) के अनुसार
चिकित्सा उपकरण	15 वर्ष
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित
एयरो इंजन रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित

घ. अमान्यकरण

संपति, संयत्र व उपकरण की कोई मद व प्रारंभ में मान्य किसी महत्वपूर्ण भाग को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से, भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की स्थिति में– अमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयत्र या उपकरण के (संपत्ति, संयत्र व उपकरण के निवल निपटान प्राप्तियों/व फेयर वेल्यू व संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कैंरिग राशि के अंतर पर गणना की जाती है) को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि को, संपत्ति व उपकरण के अमान्य किए जाने पर लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है। भिन्न घटक के रूप में गणना किए गए घटक की कैरिंग राशि को बदलने या संपत्ति, संयत्र व उपकरण, जिससे घटक संबंधित है के अमान्य होने पर अमान्य किया जाता है।

ड. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमिक आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन दो वर्ष में किया जा सके। प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो तो, का रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाता है और तदनुसार, यदि कोई लेखा कार्रवाई हो, तो बहीखातों में की जाती है।

III. विक्रय के लिए अभिनिर्धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से ''विक्रय के लिए अभिनिर्धारित'' परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

क्षति हानि को, परिसंपत्ति की किसी आरंभिक या तदंनदर विक्रय कीमत घटाकर उचित मूल्य पर, राइट–डाउन हेतु, मान्य किया जाता है। लाभ को उचित मूल्य में, परिसंपत्ति के विक्रय की कीमत घटाकर, पंरतु पूर्व में मान्य किए गए किसी संचित क्षति हानि से अधिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती वृद्धि हेतु मान्य किया जाता है।

IV. अमूर्त परिसंपत्तियां

क. आरंभिक मान्यता व मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण व उन्हें मान्य तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों और परिसंपत्ति की कीमत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुशंगिक लागत सम्मिलित होती हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति की कीमत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर धन वापसी क्रय कर सहित, व्यापार छूट व रिबेट घटाकर व परिसंपत्ति के अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसे तैयार करने में हुए सीधे व्यय, शामिल है।

कंपनी द्वारा अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका सीमित उपयोगी जीवन होता है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानियों पर की जाती है।

ख. आगामी लागत व मापन

आगामी लागत को पूंजीकृत किया जाता है जब वह भविष्य में विशिष्ट परिसंपत्ति जिससे वह संबंधित है, के आर्थिक लाभ में वृद्धि करें। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अन्य सभी व्ययों को लाभ व हानि विवरणी में, व्यय करने के समय, मान्य किया जाता है।

ग. परिशोधन

जिन अमूर्त परिसंपत्तियां का निर्धारित उपयोगी अवधि है, अनुबंध अवधि के अनुसार कानूनी अधिकार की अवधि में स्ट्रैट लाइन विधि पर परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और निर्धारित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

इंड–एएस 38 के पैराग्राफ 107 के अनुसार अनंत उपयोगी अवधि वाली एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, हालांकि, प्रबंधन द्वारा समय–समय पर क्षति के लिए इन परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो क्षति की जाती है।

निश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की रेजीडयूल वेल्यू को शून्य माना जाता है।

निश्चित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन वार्षिक वसूली के लिए किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक वहन राशि को एक क्षति के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. अमान्यकरण

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य किया जाए :

क) निपटान पर; या

ख) जब उसके प्रयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य करने से हुए लाभ या हानि को अमूर्त परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति व कैरिंग राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है व परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

V. लीज़

कंपनी द्वारा लीज़ देयताओं की गणना हेतु निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए गए।

समान परिसंपत्तियों के समान आर्थिक वातावरण में, अंतिम तिथि को समान परिस्थितियों में, लीज़ के पोर्टफोलियो के लिए एकल औसत छूट दर का प्रयोग।

क. लीज़कर्ता के रूप में:

कंपनी अनुबंध के प्रांरभ में ही निर्धारण करती है कि क्या अनुबंध में कोई लीज़ है। अनुबंध या अनुबंध में लीज़ सम्मिलित होती है, यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले कुछ समय तक पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाता है। अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण के अधिकार का पता लगाने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या:

- अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है; और
- लीज़ अवधि के दौरान परिसंपति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और;
- कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग पर निर्देश देने का अधिकार है।

1) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां

क) प्रारंभिक मान्यता व मापन:

प्रारंभिक तिथि को, राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों (आरओयू परिसंपत्तियां) का मापन, लागत पर किया जाता है। लागत में निम्न शामिल हैं –

क) लीज़ देयता के बराबर राशि

ख) प्रारंभिक तिथि से पहले किया गया लीज़ भुगतान

ग) कोई सीधी लागत

घ) रि–डिलीवरी कर्तव्यों के संबंध में किए जाने वाले व्यय की लागत का अनुमान

ड.) घटाकर, लीज़ की शर्तों में उपकरण उत्पादक से प्राप्त कोई प्रोत्साहन

ख) आगामी मापन

प्रारंभिक तिथि के पश्चात आरओयू परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयत्र व उपकरण हेतु लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है यानि आरओयू को लागत, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि घटाकर, लागत पर मापा जाता है।

लीज़ संशोधनों के कारण लीज़ देयताओं में किसी पुनः मापन प्रभाव को दर्शानें हेतु आरओयू परिसंपत्तियों को तद्नुसार समायोजित किया जाता है।

खंड सं. VII में उल्लेखित नीति के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियों क्षति अधीन होगी।

2) लीज़ देयताएं :

क) प्रारंभिक मान्यता व मापन

आंरभिक तिथि को कंपनी लीज़ भुगतान, जो उस तिथि तक अदा नहीं किए गए को, वर्तमान मूल्य पर मापती है। लीज़ देयताओं में निम्न सम्मिलित हैं –

क) लीज़ किराए

ख) लीज़ समाप्ति हेतु पैनल्टी का भुगतान यदि लीज़ टर्म में, कंपनी द्वारा समाप्ति के विकल्प का प्रयोग प्रकट को।

ग) घटाकर, प्राप्त प्रोत्साहन

लीज़ भुगतान को लीज़ में शामिल ब्याज दर यदि तत्परता से प्रयोग कर निर्धारित किया जा सके का प्रयोग कर डिस्कांउट किया जाता है। यदि वह दर तत्परता से निर्धारित नहीं की जा सके तो कंपनी द्वारा इन्क्रीमेंटल उधार दर का प्रयोग किया जाता है।

इन्क्रीमेंटल उधार दर वह ब्याज दर है जो कंपनी द्वारा समान अवधि, समान सुरक्षा पर, समान आर्थिक वातावरण में आरओयू परिसंपत्तियों को समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए निधि उधार लेने के लिए अदा की जाएगी।

ख) आगामी मापन

प्रारंभिक तिथि के पश्चात्, लीज़ देयता की राशि में ब्याज की संवृद्धि दर्शानें हेतु वृद्धि कर दी जाती है व भुगतान की गई लीज़ पर घटा दी जाती है। साथ ही, लीज़ में कोई संशोधन होने की स्थिति में, जिसमें लीज़ अवधि, लीज़ भुगतान शामिल हैं या आधार भूत परिसंपत्ति की खरीद के विकल्प का निर्धारण होने पर लीज़ देयताओं की कैरिंग राशि का पुनः मापन किया जाता है।

3. लीज़ अवधि

प्रारंभिक तिथि को कंपनी लीज़ अवधि का निर्धारण करती है जिसमें, आरंभिक लीज़ की गैर–रद्द किए जाने योग्य अवधि, जिनके लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प सहित कवर की जाने वाली अवधि, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रारंभिक तिथि को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त हो, शामिल हैं।

4. मूल्यह्रास

आरओयू के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन आधार पर आरओयू परिसंपत्तियों की आरंभिक तिथि से लेकर उपयोगी जीवन के अंत में शीघ्रातिशीघ्र या लीज़ अवधि की समाप्ति पर, लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

5. अन्य लीज़

इंड एएस 116 की परिधि से बाहर अन्य किसी लीज़ से संबंधित लीज़ भुगतान लघु अवधि लीज़ (12 माह या उससे कम अवधि की लीज़) या न्यून मूल्य लीज.। इन लघु अवधि या न्यून मूल्य लीज़ हेतु कंपनी लीज़ की शर्तों पर, लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रुप में मान्य करती है।

6. रि–डिलीवरी के लिए प्रावधान

कंपनी के बेड़े में विमान लीज़ पर हैं। लीज़ के अनुबंधों के तहत अनुबंधित रूप से सहमति के अनुसार, निर्धारित अनुबंध वापसी शर्तों के तहत, लीज़ की अवधि की समाप्ति पर विमानों को लीज़कर्ताओं को फिर से रि–डिलीवर किया जाना है। लीज़ के आरंभ के समय, रि–डिलीवरी दायित्वों को प्रबंधन द्वारा, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और अपेक्षित आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य पर उपयोग संपत्ति के अधिकार के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक होता है और इसे देनदारियों के तहत रि–डिलीवरी के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है।

7) निर्माता क्रेडिट (नकद एवं गैर नकद इंसैंटिव)

निर्माता क्रेडिट का अर्थ है किसी भी रिबेट, छूट, प्रोत्साहन भुगतान और अन्य क्रेडिट के रूप में नकद इंसैंटिव और गैर–नकद–आधारित इंसैंटिव जो ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा प्रदान किए जाते हैं और बाद में लैसर द्वारा लीज़ समझौते के समय ग्राहक को दिए जाते हैं।

नकद इंसैंटिव :

कंपनी लीज़ के तहत विमान के अधिग्रहण के संबंध में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) या लीज़कर्ता से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। इन इंसैंटिवों को संबंधित विमान या विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में, उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

गैर–नकद इंसैंटिव:

गैर–नकद इंसैंटिवों को कंपनी को देय होने के समय, आस्थगित संपत्ति और संबंधित आस्थगित इंसैंटिव आरंभ कर दर्ज किया जाता है। इन इंसैंटिवों को स्वामित्व वाले विमानों के मामले में संबंधित विमान और विमान घटकों की लागत में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज़ के तहत रखे गए विमानों के मामले में, प्रोत्साहन को संबंधित विमान या लीज़ पर लिए गए विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

VI. इनवेंटरियां :

क. इनवेंटरी

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, संपदा तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) आते हैं।

2) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।_

ख. इनवेंटरी का मूल्यांकन

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार, कलपूर्जे और खुले उपकरण शामिल हैं। इसका मूल्यांकन कम लागत और नेट रिलाईजेबल वैल्यू ('एनआरवी') पर किया जाता है।

2) इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

3) वर्ष के अंत में, फ्रेट ड्यूटी और बीमा को वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत की तुलना में क्लोजिंग इनवेंटरी के अनुपात के आधार पर व्यय किया जाता है। विमान के पुर्जों पर भुगतान किए गए अनाबंटित कस्टम ड्यूटी को इनवेंटरी के तहत दिखाया गया है।

ग. इनवेंटरी के मूल्य में कमी

1) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

i. नीचे दिए गए (ii) एवं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य की राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

2) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

3) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रूपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

VII. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के कोई संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाकर इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

क्षति परीक्षण

क्षति परीक्षण हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के सबसे छोटे समूह में रखा जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकद इनफ्लो उत्पन्न करते हैं, जो अन्य परिसम्पत्तियों के नकद इनफ्लो से या नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट (सीजीयू) से व्यापक रुप से स्वतंत्र हैं।

किसी परिसम्पत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि, उसके प्रयोग मूल्य से अधिक व उसके उचित मूल्य से विक्रय कीमत घटाकर प्रयोग मूल्य भविष्य के अनुमानित नकद इनफ्लो, छूट, दर का प्रयोग कर वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंटिड, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसम्पत्ति या सीजीयू से संबंधित विशेष जोखिम को दर्शाता है, पर आधारित है।

क्षति हानि की पहचान

क्षति हानि को इस स्थिति में मान्य किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की कैरिंग राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि का लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क्षति हानि का निरसन

अनुमानित प्रयोग में परिवर्तन होने पर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने हेतु क्षति हानि का निरसन होता है। इस प्रकार के निरसन उसी सीमा तक किए जाते हैं जिस सीमा तक परिसंपत्ति की कैरिंग राशि निर्धारित कैरिंग राशि से मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल से अधिक न हो यदि कोई क्षति हानि मान्य नहीं की गई है।

किसी परिसंपत्ति हेतु किसी क्षति हानि के निरसन को तुंरत लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाए।

VIII. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी आयु में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

IX. राजस्व निर्धारण

क. प्रचालन से राजस्व

राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हो और राजस्व का मापन विश्वसनीय रूप से हो सके।

इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत वस्तुओं या सेवाओं के अधिकार को ग्राहक को सौंपे जाने पर, राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व का मापन छूट को छोड़कर इन्सेन्टिव, थर्ड पार्टी की ओर से एकत्रित राशि या अन्य समान मदों, जो ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हैं प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

ख. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्य किया जाता है।

क) यात्री, कार्गो तथा डाक राजस्व

यात्री, कार्गो व डाक राजस्व को प्रारंभिक चरण में जब यातायात सेवा, यात्रा किए जाने के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है, यात्री को दी गई छूट, थर्ड पार्टी की और से एकत्रित राशि, लागू कर व एयरपोर्ट कर जैसे यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि यदि कोई हो, मान्य किया जाता है।

ख) ब्लॉक्ड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर

ब्लॉक्ड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

ग) वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस)

वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

ड.) अन्य राजस्वः

i) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

ii) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

iii) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

iv) अन्य मदें:

स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

X. ऋण लागत

– परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित, अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के अपने इच्छित उपयोग या बिक्री की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है।

– क्वालिंगफाइंग परिसंपत्ति वह है जो अपेक्षित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय आवश्यक रूप से लेती है।

– 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

– अन्य उधार लागत को उस विधि में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जिस अवधि में वे खर्च किए गए। उधार लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल है, जिस सीमा तक वे उधार लागत में समायोजित माने जाते हैं।

XI. फंक्शनल मुद्रा और प्रीजेन्टेशन मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन ईकाई के कार्य मुख्य अर्थिक वातावरण की मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) में किया जाता है। वित्तीय विवरणियां भारतीय रू. मुद्रा (आईएनआर) में जो कंपनी की फंक्शनल व प्रीजेन्टेशन मुद्रा है में प्रस्तुत की जाती है।

XII. विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद

क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देनों की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।_

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

XIII. कर्मचारी लाभः

क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देयतायें जैसे वेतन व बोनस इत्यादि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, जिसके भीतर कर्मचारी ने अपनी संबोधित सेवाएं दी, 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाए जाने अपेक्षित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी सेवाओं में मान्य किया जाता है और देयताओं के भुगतान पर अदा की जाने वाली अपेक्षित गैर छूट प्राप्त राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगार समाप्ति के पश्चात लाभ योजना

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में निश्चित अंशदान योजना व निश्चित लाभ योजना शामिल हैं।

क) निश्चित लाभ योजना– पोस्ट इम्प्लाई कम्पनी लाभ योजना है जिसके तहत एक ईकाई दूसरी ईकाई (फंड) में नियत अंशदान करती है और चालू और पूर्वावधि में कर्मचारी सेवाओं से संबंधित लाभ हेतु सभी कर्मचारियों को अदा करने हेतु निधि के पास पर्याप्त परिसम्पत्ति न होने पर आगे अंशदान हेतु विधिक या रचनात्मक से उत्तरदायी नहीं है। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के दायित्व को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में लाभ व हानि विवरणी भी कर्मचारी लाभ व्यय के तहत मान्य किया जाता है। पूर्वप्रदत्त अंशदान को परिसम्पत्ति के रुप में नकद रीफंड या भविष्य में होने वाले भुगतान में कमी होने पर मान्य किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से अलग एक पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना है।

ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि योजना के लिए भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता तक कंपनी की देयता है और परिभाषित लाभ योजना के श्रेणी में आते हैं।

कंपनी भविष्य निधि में, पूर्व निर्धारण दर पर, नियत अंशदान एक भिन्न ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत सिक्यूरिटीज़ में निवेश करती है। वर्ष के लिए अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह नियत अंशदान करें व सदस्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करें।

कंपनी ग्रेच्यूटी के लिए उत्तरदायी है। योजना के तहत सेवा निवृत्त, रोजगार पर रहते हुए मृत्यु होने या रोजगार की टर्मिनेशन, कर्मचारी के संबंधित वेतन व सेवा कार्यकाल के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान निहित कर्मचारी को किया जाता है। कंपनी की ग्रेच्यूटी योजना अनफंडिड है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

XIV. आयकर

आयकर व्यय में अस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्य मदों को छोड़कर, लाभ या हानि खाते में मान्य किया जाता है। उस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

चालू कर वर्ष के दौरान कर योग्य आय, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर व पिछले वर्ष के संबंध में देय कर में किसी समायोजन पर देय, अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु व कराधान उद्देश्य हेतु प्रयुक्त राशि, परिसंपत्तियों व देयताओं की कैरिंग राशि के अस्थायी अंतर हेतु प्रावधान करते हुए मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित रिवर्स

होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होना अपेक्षित है। यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है। परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

आस्थगित कर को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, उस सीमा तक के अलावा जब वह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्य की गई मदों से संबंधित हो, इस मामले में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है, कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

XV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को उद्घाटित किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्राप्त होना संभावित है।

प्रावधान में परिवर्तन

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए, आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लों आवश्यक होगा तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रत्येक अवधि में प्रावधान की कैरिंग राशि बढ़ जाती है। इस वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

XVI. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम़ की शर्त के अधीन हैं।

XVII. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

XVIII. उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में, उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापदण्ड के लिए इनपुट अवलोकनीय हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार वर्णित हैं:

- स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु उद्धत कीमतें (असमायोजित) निष्क्रिय बाजार हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2: इनपुट्स लेवल 1 में शामिल अन्य उद्धृत मूल्य इनपुट हैं, से इतर, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के लिए पालनीय हैं, और
- स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट अपालनीय इनपुट हैं।

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसम्पत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है या:

– संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या

– एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में ।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी को/द्वारा सुलभ होना चाहिए।

XIX. वित्तीय उपकरण

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

क. वित्तीय परिसम्पत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, उचित मूल्य या लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नगदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

(ii) आरंभिक पहचान एवं मापन

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हों तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

(iii) परवर्ती मापन

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

क. परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां :

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नगदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नगदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां: डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iv) मान्यता समापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों। जिसमें कंपनी न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो

हस्तांतरित करती है और न ही उसे बनाए रखती है। यह वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है।

कोई लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, उस स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके नुकसान भत्ते में परिवर्तन (वृद्धिशील या उलट), लाभ और हानि में, क्षति लाभ या हानि के रूप में पहचाने जाते हैं।

(vi) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यत यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) आरंभिक मान्यता एवं मापन

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी और किसी भी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ और हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त हैं।

वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग हेतु रोकी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या यह एक डेरीवेटिव है या इसे प्रारंभिक मान्यता पर इस तरह नामित किया गया है।

(iii) परवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकोनाइज्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

ख) लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

(iv) मान्यता समापन

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। कंपनी शर्तों को संशोधित करने पर और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग होने पर वित्तीय देयता को डी रिकोगनाइज़ कर देती है। इस मामले में, संशोधित मूल्य के आधार पर एक नया वित्तीय दायित्व उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। समाप्त हुई वित्तीय देयताएं की कैरिंग राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है, यदि चिह्नित राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार विद्यमान है, और परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं के निपटान के साथ–साथ निवल आधार पर निपटान करने की मंशा विद्मान है।

XX. मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाएं

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया है:

थ्रेश होल्ड मदें	यूनिट	थ्रेश होल्ड मूल्य
पूर्वावधि व्यय/राजस्व – व्यक्तिगत सीमाओं के आधार पर पहचान – समग्र सीमा के आधार पर रिस्टेटमेंट	 मिलियन मिलियन	 15 पिछले वर्ष का टर्नओवर 1%
पूर्वप्रदत्त व्यय	मिलियन	0.010
विदेशी स्टेशन	मिलियन	0.050
घरेलू स्टेशन	मिलियन	0.010
आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	मिलियन	0.10
वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन	मिलियन	5.0

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता/–
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

नोट–2 (क)
संयंत्र, परिसम्पत्ति व उपस्कर वित्तीय वर्ष 2022–23

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.03.2022 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.04.2022 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल ब्लॉक	31.3.2022 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
संयंत्र और उपस्कर	5 वर्ष	11.58	1.33	0.00	12.91	7.78	1.98	0.00	9.76	3.15	3.80
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	7.95	2.89	0.00	10.84	3.73	0.84	0.00	4.57	6.27	4.22
वाहन	8 वर्ष	2.57	1.14	0.00	3.71	1.54	0.63	0.00	2.18	1.53	1.03
डाटा प्रौसेसिंग उपस्कर	3 वर्ष	23.77	9.43	0.00	33.20	19.69	3.72	0.00	23.40	9.80	4.08
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	(पॉलिसी के अनुसार)	5.36	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	5.36	0.00	0.01
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	184.04	94.24	0.00	278.28	124.66	12.76	0.00	137.42	140.86	59.38
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	148.25	87.53	0.00	235.78	12.96	18.57	0.00	31.52	204.26	135.30
31.03.2023 को कुल		**383.52**	**196.56**	**0.00**	**580.08**	**175.72**	**38.50**	**0.00**	**214.22**	**365.86**	**207.80**

(मिलियन रु. में)

		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
		31.03.2021 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2021–22 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.04.2021 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल ब्लॉक	31.3.2021 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
31.03.2023 को कुल		**377.24**	**10.04**	**3.76**	**383.52**	**151.30**	**27.98**	**3.58**	**175.70**	**207.80**	**225.94**

नोट–2 (ख) : परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	01.04.2022 को	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.04.2022 को संचित मूल्यह्रास इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल कैरिंग मूल्य
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ
आरओयू एसेट	लीज अवधि पर आधारित	26704.20	3068.60	0.00	0.00	29772.80	7030.35	2571.39	9601.74	20171.06
31.03.2023 को कुल		26704.20	3068.60	0.00	0.00	29772.80	7030.35	2571.39	9601.74	20171.06

राशि मिलियन रु. में

	01.04.2021 को	वर्ष 2021–22 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.04.2021 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल कैरिंग मूल्य
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ
31.03.2022 को कुल	26704.20	0.00	0.00	26704.20	4648.50	2381.84	-	7030.35	19673.85

नोट–2 (ग) : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.4.2022 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल ब्लॉक	31.3.2022 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
अमूर्त परिसम्पत्तिया – ट्रेडमार्क	असंख्य	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54
अमूर्त परिसम्पत्तिया – कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	करार के अनुसार	23.55	64.08	0.00	87.63	0.29	7.88	0.00	8.17	79.46	23.26
31.3.2023 को कुल		**26.09**	**64.08**	**0.00**	**90.17**	**0.29**	**7.88**	**0.00**	**8.17**	**82.00**	**25.80**

	31.3.2021 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2021–22 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.4.2021 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल ब्लॉक	31.3.2021 को निवल ब्लॉक
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
31.3.2023 को कुल	**0.00**	**26.09**	**0.00**	**26.09**	**0.00**	**0.29**	**0.00**	**0.29**	**25.80**	**0.00**

नोट सं. 03

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
आरक्षित खरे माने गए		
सुरक्षा जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता)	1,038.80	847.65
आरक्षित संदेहास्पद		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	9.06	29.30
घटाकरः संदेहास्पद ऋण को क्षति भत्ता	(9.06)	(29.30)
कुल	**1,038.80**	**847.65**

नोट सं. 04

आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
टीडीएस सहित आयकर का अग्रिम भुगतान	612.79	387.72
घटाः कराधान हेतु प्रावधान	-	-
कुल	**612.79**	**387.72**

नोट सं. 05

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम से इतर अग्रिम		
सुरक्षा जमा (अनुरक्षण आरक्षित पॉट)	4,883.25	3,401.42
वसूली योग्य जीएसटी इनपुट कर	1,221.94	1,033.52
कुल	**6,105.19**	**4,434.94**

नोट सं. 06

इनवेंटरी	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
भंडार एवं हिस्से पूर्जे*	608.52	491.37
खुले औजार*	14.07	8.01
मार्गस्थ माल	-	-
घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए प्रावधान	(281.17)	(214.70)
कुल	**341.43**	**284.68**

***मूल्यांकन हेतू महत्वपूर्ण लेखा नीतियों खंड 3(VI) (ख) का संदर्भ लें

नोट सं. 07

व्यापार प्राप्य	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
रक्षित, व्यापार प्राप्य	-	-
अरक्षित व्यापार प्राप्य		
व्यापार प्राप्य खरे माने गए	1,007.45	805.13
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
व्यापार प्राप्य– क्रेडिट क्षति	25.27	25.27
घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षति भत्ता	(25.27)	(25.27)
कुल	**1,007.45**	**805.13**

(मिलियन रु. में)

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची	चालू वर्ष					
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीन से –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	557.89	65.14	59.95	27.43	297.04	1,007.45
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	0.02	-	-	25.25	25.27
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य खरे माने गए						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

(मिलियन रु. में)

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची	चालू वर्ष					
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीन से –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	464.62	4.15	39.31	3.01	294.04	805.13
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	0.02		-	22.25	25.27
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य खरे माने गए						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

नोटः सं. 8

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	149.53	145.04
बैंक में जमा (3 महीने से कम मैचयोरिटी)	-	-
हाथ में रोकड़	0.02	-
कुल	**149.55**	**145.04**

नोट सं. 09

नकद समतुल्य के अलावा बैंकों में शेष	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में शेष*	12.00	12.00
मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3<मैचयोरिटी<12)**	789.31	855.90
कुल	**801.31**	**867.90**

*आईओबी में 12 मिलियन रुपए की बैंक की शेष राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के तहत ग्रहणाधिकार/होल्ड के रुप में चिह्नित किया है।
**विभिन्न गैर–निधि आधारित क्रेडिट लियन का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा के रुप में बैंकों के पास जमा है और इसमें 10% मार्जिन मनीऔर उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

नोट सं. 10 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
अरक्षित व खरे माने गए		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	76.09	108.80
कर्मचारियों को अग्रिम	0.23	0.10
अरक्षित व संदेहास्पद माने गए		
कर्मचारियों को अग्रिम	5.45	5.45
घटाकरः संदेहास्पद स्टॉफ अग्रिम हेतु भत्ता	(5.45)	(5.45)
कुल	**76.32**	**108.90**

नोट सं. 11

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
क) सुरक्षा जमा		
प्राधिकरणों में जमा	0.11	0.11
उच्च न्यायालय में जमा	222.38	222.38
घटाः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	(222.38)	(222.38)
ख) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	4.21	3.33
ग) अन्य अग्रिम		
पूर्व प्रदत्त व्यय	160.53	130.51
अन्य से प्राप्य	341.42	126.98
कुल	**506.27**	**260.93**

नोट सं. 12

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी	20,000	20,000
100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर)		
	20,000	**20,000**
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50
100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर)	-	-
	4,022.50	**4,022.50**

12 क)

शेयरों की संख्या का समाधान	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	**4,02,25,000**	4,02,25,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-
घटाकरः रीडिम किए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**4,02,25,000**	**4,02,25,000**

12(ख) इक्विटी शेयरः इक्विटी शेयर के लिए संलग्न विनिमय एवं शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कंपनी के समापन पर इक्विटी शेयरधारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कंपनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12(ग) होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में इक्विटी शेयर

402,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 402,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं।

12(घ) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौराः

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 को शेयरों की सख्या	31 मार्च, 2022 को शेयरों की संख्या
एआईएसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)		
इक्विटी शेयर	40,225,000	40,225,000
शेयरों की कुल सं.	40,225,000	40,225,000
स्वामित्व का प्रतिशत	100%	100%

12(ड़) प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटरों के पास शून्य शेयर हैं।

नोट सं. 13

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
1. लाभ–हानि खाते में अधिशेष/(घाटा)		
प्रारंभिक शेष	(35,016.89)	(30,539.26)
जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	(5,665.73)	(4,477.63)
अंतशेष	**(40,682.63)**	**(35,016.89)**
2. अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक शेष	8.88	5.16
जोड़करः वर्ष के लिए	8.01	3.71
अंतशेष	**16.89**	**8.87**
कुल	**(40,665.74)**	**(35,008.02)**

नोट सं. 14

लीज़ देयताएं	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
लीज़ देयताएं	24,636.26	22,465.24
घटाकरः लीज़ देयताओं का चालू भाग (चालू देयताएं नोट सं. 17 में उल्लिखित)	(3,252.68)	(2,608.93)
गैर चालू लीज़ देयताएं	21,383.58	19,856.31
कुल	**21,383.58**	19,856.31

नोट सं. 15

प्रावधान	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान हेतु प्रावधान	80.62	74.67
घटाकरः उपदान का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(3.44)	(2.77)
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	37.16	35.35
घटाकरः छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(1.77)	(1.57)
अन्य प्रावधान		
विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	681.33	571.65
कुल	**793.90**	**677.33**

नोट सं. 16

चालू उधार	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
संबंधित पार्टियों से ऋण (अरक्षित)		
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के कारण 25/01/2022 से होल्डिंग कम्पनी (एआईएएचएल के औसत बकायों के आधार पर @9% की दर से ब्याज देय था)	23,995.78	23,345.28
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के कारण (वर्ष 2021–22 में एसबीएलसी के नवीनीकरण के लिए 562.50 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त हुई है जिस पर एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार प्रतिवर्ष 1% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। पुनर्भुगतान से लंबित नियम और शर्तों, इस अग्रिम को अल्पावधि कार्य के रुप में दर्ज किया गया है।)	562.50	562.50
कुल	**24,558.28**	**23,907.78**

नोट सं. 17

लीज़ देयताएं	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
लीज़ देयताएं का चालू भाग **(नोट संदर्भ सं. 14)**	3,252.68	2,608.93
कुल	**3,252.68**	2,608.93

नोट सं. 18

व्यापार देय	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	-	2.41
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		
– व्यय हेतु प्रावधान	3,131.58	1,276.03
– वेंडर भारत में	9,010.03	6,469.02
– वेंडर–भारत से बाहर	942.68	794.32
– संबंधित पार्टी–देय	3,169.96	2,236.42
– आपूर्तिकर्ता–एमआरओ–रैमको*	111.77	324.77
– एयरपोर्ट कर	79.67	-
कुल	**16,445.69**	**11,102.97**

* जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता–रैमको लेज़र का मिलान और समाधान प्रक्रियाधीन है।

चालू वर्ष					(मिलियन रु. में)
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
ii) अन्य	2227.39	6784.07	2715.73	4718.5	16445.69
iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**2227.39**	**6784.07**	**2715.73**	**4718.5**	**16445.69**

चालू वर्ष					(मिलियन रु. में)
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	2.41	-	-	-	2.41
ii) अन्य	5786.52	797.42	2400.87	2115.75	11100.56
iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**5788.93**	**797.42**	**2400.87**	**2115.75**	**11102.97**

नोट सं. 19

अन्य चालू वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
अर्नेस्ट धन जमा	2.01	2.02
सुरक्षा जमा	311.44	310.05
अन्य	101.66	233.76
कुल	**415.11**	**545.83**

नोट सं. 20

चालू प्रावधान	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
उपदान देयता हेतु प्रावधान	3.44	2.77
उपदान का चालू भाग (नोट सं. 15 में उल्लिखित)		
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	1.77	1.57
छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट सं. 15 में उल्लिखित)		
कुल	**5.21**	**4.34**

नोट सं. 21

अन्य चालू देयताएं	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
एजेंट एवं ग्राहक से अग्रिम	204.04	2.43
अग्रिम बिक्री	253.38	-
देय सांविधिक भुगतान		
– देय जीएसटी पर टीडीएस	0.95	1.64
– आयकर के अनुसार देय टीडीएस	533.85	258.85
– जीएसटी देय	19.27	33.79
– देय भविष्य निधि	4.11	4.30
– देय सेवाकर*	31.13	31.13
– अन्य प्रावधान कर	0.08	0.24
कुल	**1,046.81**	**332.38**

* यह राशि मैसर्स गति से संबंधित है। मामला विचाराधीन है।

नोट स. 22

प्रचालन से राजस्व	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
1. प्रचालन राजस्व		
सेवा की बिक्री से		
i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		
क) यात्री	6,517.90	4,193.48
ख) अतिरिक्त सामान	9.99	67.80
ग) डाक	0.99	3.72
घ) कार्गो	12.55	18.90
	6,541.43	4,283.90
ii) गैर अनुसूचित–यातायात सेवाएं		
क) चार्टर	99.14	20.72
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	3,659.93	2,842.10
	3,759.07	2,862.82
iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	683.68	28.57
	683.68	28.57
कुल	**10,984.18**	**7,175.29**

नोट सं. 23

अन्य आय	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
1. साविधि जमा पर ब्याज	45.22	42.04
2. आयकर प्रतिदेय पर व्याज	-	23.61
3. अन्य	20.19	0.16
–प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रिर्टन बैक		
कुल	**65.41**	**65.81**

नोट सं. 24

अन्य प्रचालन व्यय		2022–23 (मिलियन रु. में)	2021–22 (मिलियन रु. में)
i)	विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
	विमान इंजन की लीज़	-	3.45
	हैंडलिंग	519.70	349.08
	अनुरक्षण	1,961.17	1,790.95
		2,480.87	2,143.48
ii)	मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
	अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	28.11	16.76
	हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	17.22	13.17
	उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	291.27	170.50
		336.59	200.43
iii)	अन्य संचार प्रभार		
	आरक्षण प्रणाली पर व्यय	80.47	268.53
	पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार	0.06	0.09
	टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	1.93	1.20
		82.46	269.82

अन्य प्रचालन व्यय		2022–23 (मिलियन रु. में)	2021–22 (मिलियन रु. में)
iv)	यात्री सुविधाएं		
	उड़ानगत एवं होटल उपभोज्य सामग्रियों की खपत		
	पैक्स सुविधाएं– स्थल पर केटरिंग	1.34	2.40
	पैक्स सुविधाएं– विमान पर केटरिंग	97.11	53.63
	पैक्स सुविधाएं– होटल व्यय	0.41	1.17
	पैक्स कॉल सेंटर प्रभार	6.88	19.16
	पैक्स सुविधाएं– समाचार पत्र और पत्रिकाएं	-	0.02
		105.74	76.38
v)	बीमा		
	बीमा–विमान	146.71	101.87
	बीमा सामान्य	0.09	0.01
		146.80	101.88
vi)	इनवेंटरी खपत		
	उपभुक्त सामग्री – विमान	273.08	165.46
	अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)	66.47	34.83
		339.55	200.29
vii)	बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल)		
	टिकट विक्रय पर कमीशन	250.52	44.73
		250.52	44.73
	कुल	**3,742.54**	**3,037.01**

नोट सं. 25

कर्मचारी लाभ व्यय	2022–23 (मिलियन रु. में)	2021–22 (मिलियन रु. में)
1.वेतन–मजदूरी और बोनस		
वेतन–भारत में कर्मचारी	1,352.55	898.86
बोनस व्यय	7.38	7.22
	1,359.93	906.08
2. क्रू भत्ते		
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	21.05	231.47
	21.05	231.47
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि– भारत में कर्मचारी	20.73	17.18
	20.73	17.18
4. स्टॉफ कल्याण व्यय		
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	23.69	16.92
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	82.29	74.98
	105.98	91.90
5. उपदान	15.89	14.43
6. छुट्टी नकदीकरण	1.80	1.35
कुल	**1,525.39**	**1,262.41**

नोट सं. 26

वित्तीय लागत	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
(i) ऋण पर ब्याज		
– होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रभारित ब्याज*	2,154.49	1,837.20
(ii) लीज़ देयताओं पर ब्याज व्यय	221.48	207.85
(iii) लीज़ देयताओं पर विदेशी मुद्राओं का प्रभाव	1,951.97	612.63
(iv) बैंक प्रभार	12.92	21.52
(v) ईंधन कंपनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	378.74	255.23
(vi) संबंधित पार्टियों द्वारा प्रभारित ब्याज	268.47	237.76
कुल	**4,988.07**	**3,172.19**

* एआईएएचएल द्वारा बकाया राशि पर औसत @09% की दर से ब्याज लगाया गया है। वर्ष 2021–22 में एआईएएचएल द्वारा 562.50 मिलियन रुपए जमा किए गए जिस पर @1% की दर से ब्याज लगाया गया है।

नोट सं. 27

अन्य व्यय	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
यात्रा व्यय	63.17	25.04
किराया	89.14	29.12
मरम्मत प्रभार	0.41	1.37
परिवहन का किराया	57.12	33.83
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	8.81	6.48
जल प्रभार	0.01	-
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	10.48	5.01
प्रचार और विक्रय संवर्धन	3.19	0.15
कोविड व्यय	0.67	8.22
विधिक प्रभार	2.51	2.38
लेखा परीक्षकों को भुगतान	1.21	1.21
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	45.24	31.63
बुरे एवं संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
इनपुट रिवर्सल	29.84	11.83
मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	(253.53)	(125.53)
डीजीसीए को शुल्क	5.20	1.13
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	0.15	-
मनोरंजन व्यय–सामान्य	0.29	0.12
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	31.04	22.45
परिसम्पत्ति बिक्री या स्क्रैप्ड पर अंतशेष हानि	-	0.01
अन्य विविध खर्चे	19.27	4.62
टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	46.00	35.65
सेवा कर/जीएसटी का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	0.02	0.57
इनवेंटरी की कमी हेतु प्रावधान	-	31.13
कुल	**160.21**	**126.42**

नोट सं. 28

प्रतिशेयर आय का प्रकटीकरण इंड–एएस33	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या		
आरंभिक	4,02,25,000	4,02,25,000
जारी	-	-
वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या (भाजक के रुप में उपयोग करना)	4,02,25,000	4,02,25,000
ख) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (अंश के रुप में उपयोग करना) (मिलियन रु. में)	(5,665.73)	(4,477.63)
ग) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रु. में)	(140.85)	(111.31)
घ) शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	100.00	100.00

29. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

एएएएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर (जिसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया) जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

(मिलियन रु. में)

विवरण	01.04.2022 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	प्रावधान के विरूद्ध प्रभारित राशि	वर्ष के दौरान हटाई गई अप्रयुक्त राशि	छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च 2023 को शेष
कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है	17.28	0.99	9.89	शून्य	लागू नहीं	8.38
*अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे	16.96	8.28	शून्य	शून्य	लागू नहीं	25.24
सकल योग	**34.24**	**9.27**	**9.89**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**33.62**

ख. *अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण

विविध दावों **25.24 मिलियन रु.** (पिछले वर्ष में 16.96 मिलियन रु.) सहित

- उपरोक्त 8.38 मिलियन रु. का आंकड़ा हमारी गणना की तुलना में ट्रेसेस द्वारा गणना के अनुसार टीडीएस पर ब्याज की अधिकता को दर्शाता है। 0.99 मिलियन रुपये चालू वर्ष के आंकड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि 7.39 मिलियन रुपये पिछले वर्षों से संबंधित हैं।
- चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में 25.24 मिलियन रु. (16.96 मिलियन रु.) के अनिश्चित कानूनी दावे।

ग) <u>पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं</u>

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
–	शून्य	शून्य

घ) रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान

रि–डिलीवरी के प्रावधानों में गतिविधियों का प्रकटन यहां किया गया है:

(मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	571.65	542.33
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	53.30	-
वर्ष के दौरान प्रावधानों पर ब्याज वृद्धि	6.09	5.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि / समायोजन	-	-
प्रारंभिक प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव	-	-
अंतशेष प्रावधान बहाल करने पर विनिमय लाभ / हानि का प्रभाव	50.29	23.98
वर्ष के अंत में शेष	**681.33**	**571.65**
वर्ष के अंत में शेष – गैर–चालू	**681.33**	**571.65**
वर्ष के अंत में शेष – चालू	-	-

30. वास्तविक सत्यापन व समाधान

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर एवं फिक्सचर, इंजन और एयरफ्रेम रोटेबल आदि से युक्त सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य का लगभग 98% भाग दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित है।

पूर्व में दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान 31.03.2022 तक किया गया।

ख) विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन

विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रुप दिया जाता है।

इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन पूर्व वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया था। कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया।

ग) पुष्टि / समाधान

1) कंपनी ने प्रमुख प्राप्तियों, भुगतानों के लिए शेष राशि की पुष्टि मांगी है। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष राशि बहियों के अनुसार सही नहीं है वहां अंतर के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

अपुष्टिकृत शेष का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

(मिलियन रु. में)

खाता शीर्ष	बही खातों के अनुसार शेष राशि	शेष अपुष्ट राशि	अपुष्ट राशि का%
व्यापार देय	16445.69	422.75	2.57%
व्यापार प्राप्य	1007.45	31.93	3.17%

2) 31 मार्च 2023 को शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सभी विक्रेताओं और ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। विक्रेताओं के मामले में कुल राशि के मामले में 97.43% (पिछले वर्ष 99.65%) से पुष्टि प्राप्त हो गई है और ग्राहकों के मामले में सभी पार्टियां सरकारी विभाग/मंत्रालय हैं और 31 मार्च 2023 तक कुल देय राशि का 96.83% (पिछले वर्ष 96.34%) की पुष्टि है।

3) 111.77 मिलियन रु. की राशि आपूर्तिकर्ता सस्पेंस लेज़र के बही खातों पर शेष है। जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता रैमको, सस्पेंस लेज़र का समाधान और मिलान किया गया है और वर्ष 2022–23 के दौरान आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की गई है।

4) प्रबंधन का मत है कि समाधान के बाद समायोजन का लाभ और हानि खाते विवरणी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31. आंतरिक नियंत्रण

विनियामक और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ निगमित प्रशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास व्यवसाय के सुचारू और कुशल प्रचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया है। सुचारू रुप से निर्णय लेने के लिए व्यापक रुप से शक्तियों का प्रत्यायोजन मौजूद है जो कि बदलते व्यवसायिक वातावरण और त्वरित निर्णय लेने के अनुरुप आवधिक समीक्षा करता है। समान रुपी अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँचें और बकाया सही है, सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। इसके अलावा आंतरिक लेखा परीक्षक के दायरे की समय–समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों और एसएपी में लेन–देन की एक समान और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखने हेतु कम्पनी के अलावा लेखा परीक्षा समिति है।

एआई के विनिवेश के कारण, एलाइंस एअर ने 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी नया एसएपी पहले ही लागू कर दिया है। वर्ष 2023–24 के दौरान सभी लेनदेन का हिसाब नए एसएपी में किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण मौजूदा एआई एसएपी में तैयार किया गया था। 31 मार्च 2023 को सभी सामान्य खाता बही का अंत शेष फ्रीज कर दिया जाएगा और इसे 2023–24 के प्रारंभिक शेष के रूप में माईग्रेट किया जाएगा।

31 मार्च 2023 के प्रारंभ से सभी लेनदेन को संदर्भ उद्देश्य के लिए क्लाउड सर्वर में रखा गया है।

32. इनवेंटरी

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान के पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियां और एटीआर और डीओ 228 विमान के उपकरण शामिल हैं। एटीआर और डीओ 228 विमानों में विशेष उपयोग के लिए पुर्जों को इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और लैमिनार सिस्टम नामक इनवेंटरी प्रबंधन माड्यूल की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, संपूर्ण एएएएल नेटवर्क के इनवेंटरी प्रबंधन को लैमिनार सिस्टम के एलआईएमएस (लॉजिस्टिक्स और इनवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम) मॉड्यूल के माध्यम से क्रय आदेश, जीआरएन, जारी करने, स्टॉक जांच जैसे विभिन्न लेनदेन द्वारा नियंत्रित किया गया है।

2. लैमिनार और एसएपी के बीच इंटरफ़ेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस इंटरफेस के कार्यान्वयन के पश्चात् लैमिनार में होने वाले सभी लेनदेन अब इंटरफेस के माध्यम से सीधे एसएपी में किए जाएंगें।

33 एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समाधान किया जा चुका है और 31.3.2023 तक समाधान किया गया है।

2) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2023 तक कर लिया गया है।

34. इंड–एएस 108 के अनुसार प्रकटीकरण ''ऑपरेटिंग सेगमेंट''

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट खंड है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आवंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

(मिलियन रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
भारत	10,959.06	7,175.29
भारत से बाहर	25.12	0.00
कुल	**10,984.18**	**7,175.29**

कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कंपनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आवंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

35. इंड–एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण''

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–24) के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क. निदेशक मंडल, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) (वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि से आज तक)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	अध्यक्ष	27/01/2022	28/02/2023
2	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	अध्यक्ष	01/03/2023	आज तक

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
3	श्रीमती उषा पाढ़ी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	25/01/2022	18/01/2023
4	श्री असंगबा चूबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	18/01/2023	आज तक
5	श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	11/02/2022	आज तक
6	श्री दीपक सजवान उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	27/01/2021	18/01/2023
7	श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	18/01/2023	आज तक

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	31/07/2021	आज तक
2.	श्री अम्बर कुमार मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26/07/2019	आज तक
3.	सुश्री शिल्पा भाटिया	कंपनी सचिव	14/01/2022	आज तक

ग. संबंधित पार्टियां:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

नाम	संबंधों की प्रकृति	नियंत्रण प्रभाव
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	होल्डिंग कंपनी	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इकाई
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	इकाई का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	इकाई का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
भारतीय होटल निगम	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	इकाई का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।

घ. संबंधित पार्टी लेनदेन

i. वर्ष 2022–23 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 4.01 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 3.81 मिलियन रुपये) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को 1.79 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 1.71 मिलियन रुपये) और कंपनी सचिव को 0.80 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 0.37 मिलियन रुपये) से पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iii. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

iv. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं।

ड. लेनदेन विवरण – संबंधित पार्टी

1. मूल कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) एवं एआईएएचएल के अन्य सहायक कंपनी

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति **क) एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल)**	**2022–2023 (मिलियन रु. में)**	**21.01.2022 से 31.03.2022 (मिलियन रु. में)**
व्यय		
स्थल प्रभार	2.03	-
ब्याज	-	-
	2,154.49	404.05
अंतशेष (क्रेडिट)*	**26,711.28**	**24,320.69**
एएएएल की ओर से एआईएएचएल द्वारा दी गई निगमित गारंटी	0.00	2,012.29

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति **ख) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.**	**2022–2023 (मिलियन रु. में)**	**2021–22 (मिलियन रु. में)**
व्यय		
होटल आवास	1.67	0.43
आय	(1.42)	-
अंतशेष (क्रेडिट)*	**(1.03)**	**0.52**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति **ग) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल)** पूर्व में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.	**2022–2023 (मिलियन रु. में)**	**2021–22 (मिलियन रु. में)**
व्यय		
अन्य मरमत्त	559.58	499.22
मानव शक्ति	26.84	50.81
प्रशिक्षण	0.28	-
एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	-	-
ब्याज	172.81	134.59
अंतशेष (क्रेडिट)*	**2,302.60**	**1,710.52**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2022–2023 (मिलियन रु. में)	2021–22 (मिलियन रु. में)
घ) एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) पूर्व में एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.		
व्यय		
हैंडलिंग प्रभार	282.06	191.29
क्रेडिट प्राप्त हुआ		
आय	(4.27)	(0.95)
ब्याज	94.53	70.18
अंतशेष (क्रेडिट)*	**1,284.03**	**911.11**

*** वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान सहित अंतशेष**

2. भविष्य निधि ट्रस्ट के साथ लेन–देन

(मिलियन रु. में)

विवरण	2022–23		2021–22	
	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2023 को देय	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2022 को देय
एएएसएल पीएफ ट्रस्ट	**20.73**	**4.11**	**17.18**	**3.60**

3. संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्रमुख लेनदेन

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(मिलियन रु. में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	2022–23	2021–22
	व्यय		
i)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थल सहित)	**297.54**	**190.29**
ii)	तेल कंपनियाँ		
	इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड	**2390.74**	**1,082.39**
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	**666.19**	**414.81**
	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	**594.29**	**324.44**
	राजस्व		
i)	**सरकार से प्रचालन हेतु सब्सिडी**		
	भारत सरकार	**3,659.93**	**2,842.10**
ii)	**चार्टर राजस्व – अन्य**		
	भारत सरकार	**4.16**	**20.72**

नोट: सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने, अन्य सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

36. कर्मचारी लाभ

कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की प्राधिकार छुट्टियों का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नगदीकरण देयता 1.80 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 1.35 मिलियन रुपये) है।

ख. परिभाषित लाभ योजना–

1) भविष्य निधि (फंडेड)

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर का भुगतान सुनिश्चित करे।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास योजना से रिफंड के रूप में या बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 30 मिलियन रुपये के शुद्ध अधिशेष के लिए योजना में भविष्य में कम योगदान के रूप में लाभों का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को एक परिसंपत्ति के रूप में और 'अन्य व्यापक आय' में बीमांकिक लाभ के रूप में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यह भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित है न कि कंपनी से।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, तुलन पत्र की तारीख पर निम्न तालिका भविष्य निधि योजना की स्थिति निर्धारित करती है

	परिसंपत्तियां / देयताएं	**31–03–2023**	**31–03–2022**
क	वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	471,608,047	42,04,71,990
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	502,326,287	42,06,98,749
ग	**निवल परिसंपत्तियां / (देयताएं) तुलन पत्र में मान्य प्रावधान**	30,718,240	2,26,759

दायित्व के वर्तमान लाभ में परिवर्तन

		31–03–2023	**31–03–2022**
क	अवधि के आरंभ में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	420,471,990	37,51,95,284
ख	ब्याज लागत	29,102,281	3,09,45,799
ग	चालू सेवा लागत	20,726,677	1,71,82,965
घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों द्वारा योगदान	26,650,434	2,20,41,466
ड.	लाभ भुगतान	(23,421,138)	(2,39,61,574)
च	दायित्व पर कुल एक्चूरियल (लाभ) / हानि में परिवर्तन	(1,922,197)	(9,31,950)
छ	निपटान / स्थानान्तरण में	0	--
ज	**अवधि के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	471,608,047	42,04,71,990

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

		31–03–2023	**31–03–2022**
क	अवधि के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	420,698,749	37,65,26,190
ख	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	57,671,565	2,89,09,702
ग	नियोक्ता का अंशदान	20,726,677	1,71,82,965
घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों का अंशदान	26,650,434	2,20,41,466
ड.	लाभ भुगतान	(23,421,138)	(2,39,61,574)
च	निपटान / स्थानान्तरण में	--	--
ज	**अवधि के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिर्वन**	502,326,287	42,06,98,749

2) ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है जो अनफंडेड है और इसे अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। ग्रेच्यूटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती या समझौते नहीं थे।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

2.1(क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है:

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,46,69,924	6,69,88,047
ब्याज लागत	54,13,570	48,56,633
चालू सेवा लागत	1,04,76,509	95,69,809
पूर्वसेवा लागत	0	0
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(19,28,078)	(30,30,159)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(80,14,019)	(37,14,406)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,06,17,906	7,46,69,924

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(20,13,526)	(21,22,388)
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(60,00,493)	(15,92,018)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(80,14,019)	(37,14,406)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2023 तक	31–03–2022 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,06,17,906	7,46,69,924
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	8,06,17,906	7,46,69,924
वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(8,06,17,906)	(7,46,69,924)

2.3 (क) लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
ब्याज लागत	54,13,570	48,56,633
चालू सेवा लागत	1,04,76,509	95,69,809
पूर्व सेवा लागत	0	0
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	1,58,90,079	1,44,26,442

2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित	(1,86,49,238)	(1,49,34,832)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व	(80,14,019)	(37,14,406)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां	0	0
कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(80,14,019)	(37,14,406)
कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(2,66,63,257)	(1,86,49,238)

2.3 (ग) निवल ब्याज लागत

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	54,13,570	48,56,633
योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	54,13,570	48,56,633

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(60,00,493)	(15,92,018)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2023 को	31–03–2022 को
कर्मचारियों की संख्या	909	835
कुल मासिक वेतन	1,89,90,869	1,74,66,564
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.6	6.9
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.2	22.3
औसत आयु (वर्ष)	37.8	37.7
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	15	16
औसत मासिक वेतन	20,892	20,918
कमी (वर्षों) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित भावी सेवा	16	16

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई एक्च्यूरियल मान्यताएं और गणनाओं के लिए लागू निम्नानुसार हैं:

डिस्काउंट दर	7.50% प्रति वर्ष	7.25% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभ:

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।
सीमा	20,00,000.00	20,00,000.00

3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	**31–03–2023 को**	**31–03–2022 को**
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	34,39,871	27,77,804
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	7,71,78,035	7,18,92,120
कुल देयताएं	8,06,17,906	7,46,69,924

3.5 इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर योजना के प्रभाव

3.5 (क) वित्त प्रबंधन और वित्तीय पोषण नीति–

लागू नहीं

3.5 (ख) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संभावित योगदान

आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	1,14,16,844	1,08,54,815

3.5 (ग) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल–भारित औसत

भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित)	15	16

3.5 (घ) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल: लाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण।

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024	34,39,871
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025	18,43,707
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026	19,90,068
01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027	14,38,977
01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028	10,78,339
01 अप्रैल 2028 से आगे	7,08,26,944

3.6 अगली अवधि के लिए प्रक्षेपण:

अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान	1,14,16,844

3.7 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवधि	**31–03–2023 को**
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	8,06,17,906 @ वेतन वृद्धि दरः8% और डिस्काउंट दरः 7.5%
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% वृद्धि सहित	7,20,75,699; x=1.00% [परिवर्तन 11%]
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% कमी सहित	9,07,59,731; x=1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% वृद्धि सहित	9,06,07,299; x=1.00% [परिवर्तन 12%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% कमी सहित	7,20,38,690; x=1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं –निकासी दर में x% वृद्धि सहित	8,00,43,509; x=1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं –निकासी दर में x% कमी सहित	8,12,49,180; x=1.00% [परिवर्तन 1%]

3.8 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	**01–04–2022 से 31–03–2023**	**01–04–2021 से 31–03–2022**
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	7,46,69,924	6,69,88,047
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	1,58,90,079	1,44,26,442
ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि)/हानि– कुल वर्तमान अवधि	(80,14,019)	(37,14,406)
लाभ देय (यदि कोई हो)	(19,28,078)	(30,30,159)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	8,06,17,906	7,46,69,924

3) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में परिभाषित लाभ छुट्टी योजना (अनफंडेड) है जिसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में माना जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है, जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी गई है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

3.1(क) वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।

अवधि	**01–04–2022 से 31–03–2023**	**01–04–2021 से 31–03–2022**
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,53,53,415	3,40,69,349
ब्याज लागत	25,63,123	24,70,028
चालू सेवा लागत	58,61,124	52,81,085
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	0	(70,875)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(66,20,828)	(63,96,172)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,71,56,834	3,53,53,415

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(9,59,206)	(10,25,378)
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(56,61,622)	(53,70,794)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(66,20,828)	(63,96,172)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2023 तक	31–03–2022 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,71,56,834	3,53,53,415
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	3,71,56,834	3,53,53,415
वित्तीय स्थिति–अधिशेष/(घाटा)	(3,71,56,834)	(3,53,53,415)

2.3 (क) लाभ और हानि की विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
ब्याज लागत	25,63,123	24,70,028
चालू सेवा लागत	58,61,124	52,81,085
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
निवल एक्चूरियल (लाभ)/हानि की अवधि में मान्य	(66,20,828)	(63,96,172)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	18,03,419	13,54,941

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(56,61,622)	(53,70,794)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2023 को	31–03–2022 को
कर्मचारियों की संख्या	909	835
कुल मासिक वेतन	1,89,90,869	1,74,66,564
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.6	6.9
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.2	22.3

अवधि	31–03–2023 को	31–03–2022 को
औसत आयु (वर्ष)	37.8	37.7
कैप के साथ/कैप रहित कुल अवकाश	45,248/45,248	43,879/43,892
कुल सीटीसी/उपलब्ध दर	3,79,81,738 / 3%	3,49,33,128 / 3%
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	17	17
औसत मासिक वेतन	20,892	20,918
कमी (वर्षों) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित भावी सेवा	16	16

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई बीमांकिक मान्यताओं और गणनाओं के लिए नियोजित किया गया।

डिस्काउंट दर	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आइएएलएम 2012–14	आइएएलएम 2012–14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कम्पनी के नियमानुसार	कम्पनी के नियमानुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या
जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार

3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	31–03–2023 को	31–03–2022 को
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	17,70,868	15,65,018
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	3,53,85,966	3,37,88,397
कुल देयताएं	3,71,56,834	3,53,53,415

3.5 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवधि	31–03–2023 को
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	3,71,56,834
देयताएं –डिस्काउंट दर में X% वृद्धि सहित	3,29,79,210;x =1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं –डिस्काउंट दर में X% कमी सहित	4,21,61,115;x =1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में X % वृद्धि सहित	4,20,85,484;x=1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में X % कमी सहित	3,29,61,180;x=1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं –निकासी दर में X% वृद्धि सहित	3,69,72,282;x=1.00% [परिवर्तन (0)%]
देयताएं –निकासी दर में X% कमी सहित	3,73,68,112;x=1.00% [परिवर्तन 1%]

3.6 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2022 से 31–03–2023	01–04–2021 से 31–03–2022
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	3,53,53,415	3,40,69,349
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	18,03,419	13,54,941
लाभ देय (यदि कोई हो)	0	(70,875)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	3,71,56,834	3,53,53,415

37. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयता

कंपनी घाटे में रही है, इसलिए इस बात के ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर अप्रयुक्त कर नुकसान, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग यूनिट द्वारा निकट भविष्य में किया जा सकता है, वित्तीय विवरणीयों में आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयताओं की गणना नहीं की गई है।

38. इंड–एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण''प्रति शेयर आय''

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर पश्चात लाभ / (हानि) विवरणी के अनुसार लाभ और हानि (रु. में)	(5,66,57,34,685)	(447,76,28,672)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं. (संख्या)	4,02,25,000	4,02,25,000
ईपीएस बेसिक और डायल्यूटिड (रुपये में)	(140.85)	(111.31)

39. प्रकटीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। SAP प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, माइनॉरिटी संकेतक होता है, जिसे विक्रेता को एसएसआई के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए अधिकतर उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। एमएसएमई को देरी से भुगतान करने पर कोई ब्याज देयता नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की 31 मार्च 2023 को सूचना।

विवरण	31 मार्च, 2023 (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2022 (मिलियन रु. में)
क) आपूर्तिकर्ता की शेष बकाया राषि		
मूल राशि	शून्य	शून्य
उस पर ब्याज		
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई राशि, नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ।	शून्य	शून्य
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ) उपार्जित ब्याज की राशि और भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
च) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट रोकने के प्रयोजन के लिए, आगे के वर्षों तक बकाया व देय ब्याज की राशि शेष राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	शून्य	शून्य

40. गोईंग कंर्सन

कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी के नाते एअर इंडिया के विनिवेश के बाद कंपनी को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 18 एटीआर 72–600 विमानों के अपने वर्तमान बेड़े में दो एटीआर 42–600 और एक डोर्नियर विमान को शामिल करके विमान बेड़े का विस्तार किया। 31 मार्च 2023 तक कुल 21 विमानों का बेड़ा है। सभी विमान देश के छोटे/असेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों पर सेवा देने के लिए उपयुक्त हैं।

एलाइंस एअर को दूरदराज के क्षेत्रों में आरसीएस एवं वीजीएफ योजना के अन्तग विशेष रूप से उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्रों के लिए उड़ान भरने की चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हुए आबंटित मार्गों को संचालित करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार टायर 2 और टायर 3 शहरों को जोड़ने और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उड़ान योजना के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

कंपनी भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, कंपनी द्वारा कुल 127 उड़ान मार्ग जीते गए हैं। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक 101 मार्ग (पिछले वर्ष 81 मार्ग) पर संचालन किया।

इसके साथ–साथ, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 6 अप्रैल 2023 के पत्र डीओ सं एवी.17046/72/2019–एआई, द्वारा स्पष्ट रूप से कहा कि एलाइंस एअर निरंतर आगे बढ़ रही है और आश्वासन दिया कि सरकार एलाइंस एअर को एटीएफ आपूर्ति के बकाये का भुगतान करने हेतु सभी प्रयास करेगी।

एलाइंस एअर को 20 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय से 600 करोड़. रुपए की वित्तीय सहायता हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अनुमोदन के अनुसार, एलाइंस एअर को पहली किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिससे एलाइंस एअर की वित्तीय लागत कम हो जाएगी।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। कोविड–19 के पश्चात् एएएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी एक सकारात्मक रूझान दिखाता है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

चूंकि कंपनी को परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद ''गोईंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य नष्ट हो रहा है।"

41. राजस्वः

एलाइंस एअर ने 15 अप्रैल 2022 से अपने नए पीएसएस/डीसीएस सिस्टम, अर्थात् पैक्सलिंक को चालू कर दिया है। टिकटों को ओटीए/एजेंटों से अग्रिम भुगतान रसीद पर नए पीएसएस सिस्टम के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसमें कुल बिक्री का 95% शामिल है।

वेब और एटीओ/सीटीओ के माध्यम से की जा रही बिक्री ग्राहक से प्राप्त भुगतान के रूप में है।

अन्य संबंधित पार्टी के अधिकारियों को जारी किए गए टिकटों के अलावा क्रेडिट बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका बिल बनाया जाएगा और राषि उनके बकाया से समायोजित की जाएगी।

राजस्व को उड़ान भरे गए यात्रियों के आधार पर एएएएल के बही खातों में दर्ज किया जाता है।

बिक्री के कारण उड़ान भरे गए आंकड़ों से अधिक की अतिरिक्त राशि को कंपनी की देयताओं के रूप में अग्रेषित किया गया है।

आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा दैनिक आधार पर सत्यापन/समाधान के उपयोग हेतु पैक्सलिंक से स्रोत डेटा को एक अलग एफटीपी सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। पार्टियों के बीच आदान–प्रदान किए जा रहे डेटा की गैर–प्रकटीकरण और सत्यनिष्ठा के संबंध में उचित सतर्कता बरती जा रही है। संसाधित रिपोर्ट और डेटा आउटसोर्स एजेंसियों के पोर्टल पर सत्यापन और लेखांकन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं। यह संसाधित डेटा और प्राप्त रिपोर्ट एएएएल राजस्व की पहचान का आधार है।

इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, एएएएल द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्गो और डाक से संबंधित राजस्व का प्रबंधन और प्रसंस्करण अभी भी एआईएल द्वारा किया जा रहा है।

42. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

31.3.2023 तक आरसीएस (8 राउंड) के तहत एएएएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 127 मार्ग (पूर्व में 117 मार्ग) आंबटित किए गए, जिनमें से 101 (पूर्व में 81) प्रचालन में हैं। आने वाले महीनों में शेष मार्गों का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है, एयरपोर्टों को तत्परता के आधार पर, जिसमें आबंटन के दूसरे दौर में प्रदान किए गए 10 मार्ग शामिल हैं, और आबंटन के तीसरे दौर में दिए गए 08 मार्ग और आबंटन के 04 मार्ग 3.1 दौर में 02 मार्ग और आबंटन 4.1 दौर में 2 4.2 में दौर में 02 मार्ग शामिल हैं जो 31.03.2022 तक प्रचालन में नहीं हैं, हालांकि एलओआई की शर्तों के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान इन्हें चालू करना आवश्यक है। प्रबंधन का विचार है कि मार्गों को परिचालनात्मक करने में विलम्ब विभिन्न कारकों पर आधारित है। एएएएल की ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, इसलिए एएएएल मार्ग प्रचालनात्मक करने में उपर्युक्त विलम्ब का उत्तरदायी नहीं है।

43. मैसर्स गति

एअर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 300 मिलियन रु. की बैंक गारंटी एअर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एअर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एअर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 220 मिलियन रु. जमा करवाए गए हैं। मामला न्यायाधीन है तथापि इस जमा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 220 मिलियन रु. का प्रावधान किया गया है। सुनवाई की अंतिम तिथि जिरह के लिए 11.09.2023 तक स्थगित कर दी गई है।

44. प्रावधान व्यय पर टीडीएस

वर्ष 2023–24 के दौरान वैंण्डर से प्राप्त बिलों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्ष 2022–23 में सेवा का लाभ लिया है। (अर्थात, 2022–23 के बाद के सभी बिल) अपनाई गई प्रणालीनुसार वर्ष 2022–23 के लिए बनाए गए प्रावधानों को वर्ष 2023–24 में रिवर्स कर दिया गया है और 2023–24 में प्राप्त वास्तविक बिलों को वर्ष 2023–24 में लागू टीडीएस में कटौती के बाद वैंण्डर के बही खातों में बुक किया गया है। जीएसटी परिदृश्य के कारण, वर्ष 2022–23 के बिल जो कि 2023–24 में प्राप्त हुए को वर्ष 2023–24 के बिलों के लिए टीडीएस की कटौती के बिना प्रावधान किए गए हैं।

45. इंड एएस 116 के प्रकटीकरण के अनुसार ''लीज़''

क) कंपनी द्वारा 18 एटीआर 72–600 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए गए हैं। लीज़ के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये के आधार पर देयताएं निम्नानुसार हैं: –

(मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
लीज देयताएं	21,383.58	3,252.68	19,856.31	2,608.93

ख) <u>लीज़ के लिए प्रकटीकरण जहां कंपनी इंड एएस 116 में लीजकर्ता है–</u>

कंपनी की लीज़ परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से विमान और इंजन के लीज़ शामिल हैं।

अन्य प्रकटीकरण

(मिलियन रु. में)

1) लीज़ देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**
एक वर्ष से कम	3,443.66	2,636.50
एक से 5 वर्ष	12,884.26	11,525.05
5 वर्ष से अधिक	9,058.97	9,049.77
31 मार्च 2022 को कुल गैर छूट प्राप्त लीज़ देयताएं	**25,386.88**	**23,211.32**
31 मार्च 2023 को वित्तीय स्थिति विवरणी में शामिल लीज़ देयताएं	**24,636.26**	**22,465.24**

2) लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य की गई राशि		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**
आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास व्यय	2,571.39	2,381.85
लीज़ देयताओं पर ब्याज	221.48	207.85
लीज़ देयताओं की माप में शामिल नहीं वैरिएबल लीज़ भुगतान	0	0
राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को उप लीज़ पर देने से आय	0	0
अल्पावधि लीज़ से संबंधित व्यय*	0	3.45
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पावधि लीज़ को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ से संबंधित व्यय	0	0
***लीज़ पर लिए गए इंजनों को अल्पावधि लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि लीज़ अवधि 12 महीने से कम है। इसके कारण प्रबंधन ने व्यावहारिक प्रणाली का लाभ उठाया है।**		

3) नकदी प्रवाह विवरणी में मान्य की गई राशि		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**
वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह में दिखाई गई राशि लीज़ के लिए कुल नकद आउटफ्लो	2,961.35	2,533.31

46. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

(मिलियन रु. में)

विवरण	**2022–23**	2021–22
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
सांविधिक लेखा शुल्क (व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित)	1.20	1.20
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.16	0.16
विशेष प्रयोजन लेखा परीक्षा शुल्क	0.01	0.35
कुल	**1.37**	**1.71**
अन्य लेखा परीक्षकों को भुगतान		
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.22
अन्य मामलों के लिए शुल्क	0.10	0.48
कुल	**0.32**	**0.70**
सकल कुल	**1.69**	**2.41**

47. कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनियों के अनुच्छेद 77 के अनुसार रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के 3205.03 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 2,805.03 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 82 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर कंपनी इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

48. पूंजी प्रबंधनः

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत संरचना में आवश्यक समायोजन करता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देष्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

ऋण इक्विटी अनुपातः

(मिलियन रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2023 को**	31 मार्च, 2022 को
उधार	24,558.28	23,907.78
कुल ऋण (क)	**24,558.28**	**23,907.78**
इक्विटी शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(40665.74)	(35,008.02)
कुल इक्विटी (ख)	**(36,643.24)**	**(30,985.52)**
ऋण इक्विटी अनुपात (क/ख)	**(0.67)**	**(0.77)**

इक्विटी पर रिर्टन अनुपात :

(मिलियन रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(5665.73)**	**(4,477.63)**
इक्विटी शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(40665.74)	(35,008.02)
कम्पनी के स्वामित्व वाली इक्विटी	**(36643.24)**	**(30,985.52)**
इक्विटी अनुपात (%) पर रिर्टन	**(15.46%)**	**(14.45%)**

49. फेयर वेल्यू मैजरमेंट तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट – श्रेणी तथा उचित मापन क्रम के अनुसार

नीचे दी गई तालिका कैरिंग राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल है, दर्शाती हैः–

i) **31 मार्च, 2023 को** **(मिलियन रु. में)**

विवरण	**वर्ग**				**उचित मापन मूल्य उपयोग**		
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**अमार्टराइज़्ड लागत**	**कुल**	**लेवल 1**	**लेवल 2**	**लेवल 3**
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य	-	-	1038.80	1038.80	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य	-	-	1007.45	1007.45	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष	-	-	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा* बैंक शेष	-	-	801.31	801.31	0.00	0.00	0.00
ऋण*	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैरचालू							
लीज देयताएं	21383.58	-	-	21383.58	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधारी	-	-	24558.28	24558.28	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	3252.68	-	-	3252.68	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय	-	-	16445.69	16445.69	0.00	0.00	0.00
अन्य	-	-	415.11	415.11	0.00	0.00	0.00

iii) **31 मार्च, 2022 को** **(मिलियन रु. में)**

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य उपयोग		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य **	-	-	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य*	-	-	805.13	805.13	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष'*	-	-	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (बी) के अलावा बैंक शेष	-	-	867.90	867.90	0.00	0.00	0.00
ऋण*	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू							
लीज़ देयताएं	19,856.31	-	-	19,856.31	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधार	-	-	23,907.78	23,907.78	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	2,608.93	-	-	2,608.93	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय	-	-	11,102.97	11,102.97	0.00	0.00	0.00
अन्य	-	-	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00

* व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है।

** अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के बाद परिपक्वता बैंक जमा व अर्जित ब्याज पर वित्तीय साधनों पर देय नहीं है को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर इसका कैरिंग मूल्य उचित मूल्यों को अनुमानित करता है।

50. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i क्रेडिट जोखिम
ii लिक्विडिटी जोखिम
iii बाज़ार जोखिम
क) ब्याज दर जोखिम
ख) मुद्रा जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) **क्रेडिट जोखिम**

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में है।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के **1007.45 मिलियन रु.** (805.13 मिलियन रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है:

(मिलियन रु. में)

विवरण	**31–03–2023 तक**		**31–03–2022 तक**	
	सकल कैरिंग राशि	**हानि भत्ता**	**सकल कैरिंग राशि**	**हानि भत्ता**
अदेय ऋण				
अतिदेय ऋण	1032.72	25.27	830.40	25.27

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन :

(मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ष 31 मार्च, 2023 की समाप्ति के लिए	वर्ष 31 मार्च, 2022 की समाप्ति के लिए
वर्ष के आरंभ में शेष	25.27	26.46
वर्ष के दौरान जोड़े गए	0.00	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते/समायोजन	-	(1.19)
वर्ष के अंत में शेष	25.27	25.27

(ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अभारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियां, व्यवसाय की सामान्य स्थितियों में, भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोईंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यक्ता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के रोलिंग (अनवरत) पूर्वानुमान को मेंटेन करना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।
- पारंपरिक बकाया के निपटान हेतु, भारत सरकार ने पहले ही शेयर पूंजी के रूप में 600 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है, जिससे बकाया और वित्त लागत में काफी कमी आएगी।

लिक्विडिटी जोखिम में एक्सपोज़र

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार है। संविदात्मक नकदी प्रवाह राशि समग्र हैं एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

(मिलियन रु. में)

		संविदात्मक नकद फ्लो			
31 मार्च, 2023 तक	**कैरिंग राशि**	**1 वर्ष तक**	**1–5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
होल्डिंग कंपनी को देय	24558.28	24558.28			24558.28
व्यापार देय	16445.69	16445.69			16445.69
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	415.11	415.11			415.11
विमान लीज़	25,386.88	3,443.66	12,884.26	9,058.97	25,386.88
कुल	**66,805.96**	**44,862.74**	**12,884.26**	**9,058.97**	**66,805.96**

		संविदात्मक नकद फ्लो			
31 मार्च, 2022 तक	**कैरिंग राशि**	**1 वर्ष तक**	**1–5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
होल्डिंग कंपनी को देय	23,907.78	23,907.78			23,907.78
व्यापार देय	11,102.97	11,102.97			11,102.97
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	545.83	545.83			545.83
विमान लीज़	23,211.32	2,636.50	11,525.05	9,049.77	23,211.32
कुल	**58,767.90**	**38,193.08**	**11,525.05**	**9,049.77**	**58,767.90**

(iii) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य और भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैः मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार हैः–

(मिलियन रु. में)

परिवर्तनशील दर इन्स्ट्रूमेंट	**31 मार्च, 2023 तक**	**31 मार्च, 2022 तक**
होल्डिंग कम्पनी एआईएएचएल को देय	24,558.28	23,907.78
कुल	24,558.28	**23,907.78**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा

विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

(मिलियन रु. में)

विवरण	लाभ और हानि का विवरण	
दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज में वृद्धि / (कमी)	0.50% तक वृद्धि	0.50% तक कमी
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	123.18	(123.18)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	119.54	(119.54)

ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नगदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई है:

	यूएसडी	यूरो	अन्य
निवल वित्तीय परिसम्पत्तियां	71.47 मिलियन		
निवल वित्तीय देयताएं	11.11 मिलियन		

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि / मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 495.98 मिलियन रु. की वृद्धि / कमी होगी।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2022 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई है:

	यूएसडी	यूरो	अन्य
निवल वित्तीय परिसम्पत्तियां	55.87		
निवल वित्तीय देयताएं	10.48		

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि / मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 344.02 मिलियन रु. की वृद्धि / कमी होगी।

51. इंड–एएस 115 के अनुसार प्रकटन, ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त राजस्व:

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

प्रकृति, कार्य निष्पादन दायित्व की पूर्ति का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू करों और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट करों के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन, एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है ।

कॉन्ट्रक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एअर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

राजस्व का विभाजन

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

सेवाओं का प्रतिपादन

(मिलियन रु. में)

क्र.सं.	**विवरण**	**31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष के लिए**
1	यात्री	6,517.90	4,193.48
2	अतिरिक्त सामान	9.99	67.80
3	डाक	0.99	3.72
4	कार्गो	12.55	18.90
5	चार्टर	99.14	20.72
6	सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान	3,659.93	2,842.10
7	हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व	683.68	28.57
	कुल	**10,984.18**	**7,175.29**

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई है:

(मिलियन रु. में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
व्यापार प्राप्य	**1007.45**	**805.13**

31 मार्च 2023 तक कंपनी 101 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल की वैधता के लिए चार राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती है। समझौते की शर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 साल की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

इंड एएस 115 के अनुसार लागू व्यावहारिक प्रणाली:

31 मार्च, 2023 और 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी ग्राहक कम्पनी के कुल राजस्व का 10% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

इंड–एएस 115 के पैरा 120 के अनुसार शेष निष्पादन कर्तव्य के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकता के रूप में इंड–एएस 115 के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक समीचीन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है।

52. पिछले वर्ष के आंकड़े इंड–एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

53. अतिरिक्त नियामक सूचना (कम्पनी अधिनियम–2022 की अनुसूची 3, खंड 2 के अनुपालन में)

क. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति और निवेश संपत्ति नहीं है।

ख. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ग. कंपनी के पास कोई विकासशील पूंजी डब्ल्यूआईपी और अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

घ. कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है।

ड. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

च. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

छ. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

झ. आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या समाधान लंबित नहीं है

अनुपातः

क्र.सं.	अनुपात	विश्लेषणात्मक	भाजक	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	% परिवर्तन	कारण
1.	चालू अनुपात	चालू परिसम्पत्तियां	चालू देयताएं	0.06	0.06	-1.84%	–
2.	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयर होल्डर इक्विटी	-0.67	-0.77	-13.14%	–
3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा हेतु आय उपलब्ध है	ऋण सेवा	0.24	0.19	23.30%	लीज़ पर लिए गए विमानों पर आरओई
4.	ऋण इक्विटी अनुपात		औसत शेयर होल्डर इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
5.	इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस	औसत स्टॉक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
6.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार प्राप्य	4.04	3.94	2.43%	वर्ष 2021–22 में 4195 मिलियन रु. की तुलना में वर्ष 2022–23 में पैक्स राजस्व में 6518 मिलियन रु. की वृद्धि हुई।
7.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	मुख्य व्यवसाय यात्री वाहक है और व्यवसाय की प्रकृति तथ्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगी।
8.	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल विक्रय	औसत कार्य पूंजी	-0.24	-0.20	21.20%	वर्ष 2021–22 में 4195 मिलियन रु. की तुलना में वर्ष 2022–23 में पैक्स राजस्व में 6518 मिलियन रु. की वृद्धि हुई।

9.	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/ हानि	(विक्रय)	-0.55	-0.63	-12.26%	–
10.	नियोक्ता पूंजी पर रिर्टन	(ब्याज और कर से पूर्व आय)	नियोजित पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
11.	निवेश पर रिर्टन	(निवल निवेश पर रिर्टन)	निवेश पर लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएनः 07728790

हस्ता/–
ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09835338

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 23073124BGYRAD2978

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2023

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड,
एलाइंस भवन,
अन्तर्देशीय टर्मिनल-1, आई.जी.आई. एयरपोर्ट,
नई दिल्ली-110037

CIN No. U51101DL1983GOI016518

www.allianceair.in

allianceair.9i | allianceair.in | @allianceair | allianceair